सम्पादक

डॉ0 हारून रशीद सिद्दीकी

सहायक

मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय

मासिक सच्चा राही

मजलिसे सहाफ़त व नशरियात

पो0 बॉ0 नं0 93

नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ

फोन : 0522–2740406

फैक्स : 0522–2741221

E-mail : nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 12/-
वार्षिक	₹ 120/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यु.एस. डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें

"सच्चा राही"

पता

सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात

नदवतुल उलमा, लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक

सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक

लखनऊ

अगस्त, 2012 | वर्ष 11 | अंक 06

ईद मुबारक

ईद मुबारक ईद मुबारक
खुशियों वाली ईद मुबारक
सुब्ह सवेरे खूब नहाओ
कपड़े पहनो इत्र लगाओ
सदक़ः ग़रीबों को पहुंचाओ
खाओ सिवय्याँ मुसल्ला जाओ
पढ़ के दुआना खुशियाँ मनाओ
ईद मुबारक सबको सुनाओ
हर इक को तुम करो सलाम
बुरी रस्म से बचो बचाओ
भेजो नबी पर रब की रहमत
आल पे भी अस्हाब पे रहमत

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
ईद तो उन्हीं की थी	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	5
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	6
यह भी हक़ तल्फ़ी है	मुफ़्ती तन्ज़ीम आलम कासमी	8
मदरसों के छात्रों से कुछ बातें	मौलाना सै0 अब्दुल्लाह हसनी नदवी	17
कुर्आन में शैक्षिक तत्व	डॉ0 इसपाक अली	21
आदर्श शासक	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	29
ईदैन	मौलाना ख़ालिद सैफुल्लाह रहमानी	31
इस्लाम विरोधी प्रश्नों के उत्तर	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	34
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी	37
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ नदवी	40

क़ुअर्नि की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

अनुवाद :-

ऐ ईमान वालो! अनिवार्य किया गया तुम पर रोज़ा, जैसे फर्ज़ (अनिवार्य) किया गया था तुमसे अगलों पर[1], ताकि तुम परहेज़गार (सदाचारी) हो जाओ[2(183)]। चन्द रोज़े हैं गिनती के[3], फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या मुसाफिर तो उस पर उनकी गिनती है और दिनों से[4], और जिनको ताकत है रोज़ा की, उनके ज़िम्मे बदला है एक ग़रीब का खाना[5], फिर जो खुशी से करे नेकी, तो अच्छा है उसके लिये[6], और रोज़ा रखे तो बेहतर है तुम्हारे लिये, अगर तुम समझ रखते हो[7(184)]।

तफ्सीर (व्याख्या):-

1. ये आदेश रोज़ा से सम्बन्धित है, जो इस्लाम के पाँच आधारभूत स्तम्भों में से है। रोजा मन की और इच्छाओं की गुलामी करने वालों के लिये बड़ा भारी है, इसलिये ताकीद और एहतमाम के शब्दों के साथ बयान किया गया, और ये आदेश हज़रत आदम अ0 के ज़माने से बराबर ज़ारी रहा है, यद्यपि दिनों के निर्धारण में मतभेद हुआ और पूर्व वर्णित सिद्धान्त में जो संयम का आदेश था, रोज़ा उसका महत्वपूर्ण अंग है। हदीस में रोज़ा को अर्ध संयम कहा गया है।

2. अर्थात रोज़े से मन की अच्छाओं को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी तो उसको उन इच्छाओं से जो शरीअत में हराम हैं रोक सकोगे और रोज़े से वासना शक्ति में कमज़ोरी आएगी तो अब तुम अल्लाह से डरने वाले हो जाओगे। बड़ी हिकमत (युक्ति) रोज़े में यही है कि बुरी इच्छाओं की इस्लाह अर्थात सुधार हो और शरीअत के आदेश जो मन को भारी मालूम होते हैं उनका करना आसान हो जाए और सदाचारी बन जाओ। ज्ञात रहे कि यहूदियों और ईसाइयों पर भी रमज़ान के रोज़े फर्ज़ हुए थे, मगर उन्होंने अपनी इच्छाओं के अनुसार उनमें अपनी राय से फेर–बदल किया तो "लअल्लकुम तत्तकून" में उन पर तअरीज़ है, अर्थ ये होंगे कि ऐ मुसलमानो! तुम नाफरमानी से बचो और यहूदियों और ईसाइयों की तरह इस आदेश में खलल न डालो।

3. अर्थात चन्द रोज़ गिनती के, जो ज़्यादा नहीं है रोज़े रखो और उससे रमज़ान का महीना मुराद है, जैसी अगली आयत में आता है।

4. फिर इस थोड़ी सी मुद्दत में इतनी सहूलत और दे दी कि जो बीमार ऐसा हो कि रोज़ा रखना कठिन या मुसाफिर हो तो उसके पास विकल्प है कि रोज़े न रखे और जितने रोज़े न रखे उतने ही रमज़ान के

शेष पृष्ठ.....36 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

रोज़े का अल्लाह के यहाँ दरजा-

हज़रत अबू हुरैरह रजि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह फरमाता है "आदमी का हर अमल उसके लिये है और रोज़ा खास मेरे लिये है,मैं उसका बदला दूँगा और रोज़े ढाल हैं"। यदि तुम में से कोई रोज़े से हो तो न गन्दी बात करे न झगड़ा करे, यदि उसको कोई गाली भी दे या झगड़ा करने पर आमादा हो जाए तो कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, और कसम है उसकी जिसके कब्ज़े में मुहम्मद की जान है कि रोज़ेदार के मुहँ की बू अल्लाह को मुश्क से ज्यादा पसन्द है, और कहा कि रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होती हैं, एक इफ़्तार के वक्त जबकि रोज़ा खोलता है, दूसरी खूशी क़यामत के दिन होगी, जब वह अपने रब से मिलेगा और अपने रोज़े का बदला देखेगा।

(बुखारी—मुस्लिम)

एक जगह है कि खाना —पीना छोड़ना और ख्वाहिश का छोड़ना मेरे खातिर था तो रोज़ा मेरे लिये हुआ और मैं ही उसका बदला दूँगा और एक नेकी का बदला दस गुना है।

मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आदमी को हर अमल के बदले में दस नेकियाँ सात सौ गुना तक दी जाएंगी, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा तो खास मेरे लिये है, मैं ही उसका बदला दूँगा इसलिये कि उसका खाना—पीना और ख्वाहिश का छोड़ना मेरी खातिर था और रोज़ेदार को दो खुशियाँ मिलती हैं, एक इफ़्तार के वक़्त जबकि वह रोज़ा खोलता है और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त होगी और रोज़ेद्रार के मुँह की बू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसन्द है।

अल्लाह के रास्ते में निकलने की हालत में रोज़ा-

हज़रत अबू सईद खुदरी रजि़0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जो आदमी अल्लाह के लिएं जिहाद में रोज़ा रखेगा तो अल्लाह इस रोज़े के कारण उसके चेहरे को सत्तर साल के लिए आग से दूर रखेगा।

(बुख़ारी—मुस्लिम)

रोज़े की रूह-

हज़रत अबू हुरैरह रजि़0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि जो आदमी रमज़ान में सवाब और ईमान की ख़ातिर रोज़े रखेगा तो उसके तमाम अगले (गुज़रे कल में किये हुए) गुनाह बख़्श दिये जाएंगे।

(बुखारी—मुस्लिम)

रमज़ान की पहली रात-

हज़रत अबू हुरैरह रजि़0

शेष पृष्ठ.....36 पर

ईद तो उन्हीं की थी

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीकी

सन् 1944 ई0 जब मैं कक्षा 4 में था तो भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। हर ओर बड़े–बड़े मैदान, बड़ी–बड़ी झीलें खाली पड़ी थीं, जिन में गायों, भैंसों और बकरियों के बड़े–बड़े झुण्ड चरते थे, लेकिन आज कहीं एक इंच ज़मीन भी ख़ाली नज़र नहीं आती। जिस का कारण यह है कि भारत की जनसंख्या अब एक अरब से अधिक है।

उस वक्त भारत पर अपना राज न था अपितु अँग्रेज़ अवैध शासन कर रहे थे, जिस को हम उर्दू में इस्तेअ़मारी हुकूमत भी कहते हैं। इस्तेअ़मारी हुकूमत कोई देश पसन्द नहीं करता है।

अतः देश के नेताओं ने देश को इस्तेअ़मारों से स्वतंत्र कराने के लिए बड़ी क़ुर्बानियां दीं। यहां तक कि देश 15 अगस्त सन् 1947 को आज़ाद (स्वतंत्र) हो गया। खूब खुशियां मनाई गईं। उस समय मैं रुदौली के मिडिल स्कूल में पढ़ता था। मेरे स्कूल वालों ने भी खुशी में नौटंकी का नाच कराया था, जिससे मैं बिलकुल अलग रहा था। मैंने स्कूल की वाटिका की अपनी क्यारी में धनिया बो कर लिखा था "स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त सन् 1947 ई0" जब धनिया उगी और हरी हुई और उस्तादों ने देखा तो बहुत पसन्द किया और हेड मास्टर ने मुझे इनआ़म (पुरस्कार) भी दिया था, परन्तु यह खुशी जल्द ही 28 जनवरी को ग़म में बदल गई जब बापू जी का एक अत्याचारी ने वध कर दिया। कुछ भी हो स्वतंत्रता दिवस एक पर्व के रूप में हर साल बड़ी ख़ूशियों से मनाया जाता है और मनाया जाना चाहिए, परन्तु कभी यह न याद करना चाहिए कि हम ग़ुलाम (दास) थे, इसमें दो ख़राबियां हैं, एक तो अपनी तौहीन है दूसरे अवैध साम्राज्यों के विरुद्ध शत्रुता का भाव उभरता है जो अच्छा नहीं है।

हमको खुशी इस बात की मनाना चाहिए कि हम जिस मैदान में चाहें उन्नति करें, आविष्कार करें, देश को आगे बढ़ायें। स्वतंत्रता के पश्चात कुछ असुरी तत्वों के कारण न जाने कितने नगरों में उपद्रव हुए, जिन में लाखों जानें गईं। परन्तु स्वतंत्रता के समय देश विभाजन पर जो अत्याचार हुआ, उसको भुला देना ही उचित है। जिसको अख़बार वालों ने कियामते सुग़रा (छोटा प्रलय) कहा था। परन्तु एक दुखद घटना याद दिलाता हूं कि जब पंजाब के सिख और सिंधी हिन्दू भारत की ओर और भारत के बहुत से मुसलमान पाकिस्तान की ओर भागने लगे तो पाकिस्तान जाने वाली एक गाड़ी एक स्टेशन पर रोकी गई, और कुछ लोगों ने मुसलमानों का क़त्ले आ़म शुरु कर दिया

शेष पृष्ठ.....30 पर

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

—अनु0 मुहम्मद गुफ़रान नदवी

अज़ान का आग़ाज़ (शुभारम्भ)–

इबादत के सिलसिले में नमाज़ पहले से फर्ज़ थी, जो मक्के में अलग–अलग और एक हद तक छुप कर पढ़ी जाती थी। मदीना आकर यह दुश्वारी ख़त्म हुई। उसके लिए मस्जिद में जमाअत से पढ़ने के लिए बुलाने की ज़रूरत थी और उसके लिए हिजरत के पहले साल ही अज़ान देना मुकर्रर कर दिया गया। ज़माअत के लिए बक़ायदा नमाज़ होने पर जब ज़रूरत महसूस हुई कि लोगों को बुलाये जाने का क्या तरीक़ा हो? किसी ने नाकूस बजा कर इत्तिला देने की राय दी, किसी ने किसी और तरीके की निशानदही की। इसी सोच विचार के बीच एक सहाबी आये और अपना ख़्वाब बयान किया कि उन्होंने एक शख़्स को फ़लां अल्फ़ाज़ के ऐलान करते देखा और अज़ान के अल्फ़ाज़ सुनाये। यह अल्फ़ाज़ ऐसे थे कि रसूल सल्ल0 ने फरमाया कि यह तलकीने इलाही अर्थात अल्लाह का उद्देश्य है जो ख़्वाब के ज़रिये भी होता है, लिहाज़ा बिलाल रज़ि0 को बुला कर उनको सिखा दिया। इस तरह अज़ान का सिलसिला शुरु हुआ[1]।

क़िब्ले की तब्दीली–

मस्जिद नबवी जहां पर बनी है, वह जगह बैतुल मुक़द्दस और मस्जिदे हराम मक्का के दरमियान है। इसकी वजह से उसमें क़िब्ले के तअय्युन (निर्धारण) का मसअला था। क्योंकि पिछली आसमानी शरीअत के मुताबिक अब तक क़िब्ला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। हुजूर सल्ल0 और मुसलमान जब तक कोई नया हुक्म न आया उसी रुख के पाबन्द थे। अलबत्ता काबा की पवित्रता की बिना पर उनका जी उसी को चाहता था। शायद इसलिए मस्जिदे हराम में हुजूर सल्ल0 जब नमाज़ पढ़ाते थे तो मस्जिदे हराम के दक्षिण की ओर खड़े हो कर उत्तर की दिशा इख़्तियार करते थे। इस तरह दोनों का रुख एक हो जाता था, लेकिन यह यहां मदीने में मुमकिन नहीं था, और क़िब्ले के लिए नया हुक्म नहीं आया था, लिहाज़ा आप अपने से पहले आने वाले नबियों के इख़्तियार किये हुए बैतुल मुक़द्दस का रुख इख़्तियार फरमाते रहे, उसमें काबे का रुख़ पीठ की ओर पड़ने लगा।

लेकिन आपकी ख़्वाहिश काबतुल्लाह के रुख़ को इख़्तियार करने की थी, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस को मस्जिद व क़िब्ला बनाने वाले बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही काबे की तामीर की थी, और इसको दीन व इबादत का सबसे बड़ा मरकज़ (केन्द्र) करार दिया था, और उसकी अहमियत व अज़मत (महत्व व महिमा) के लिए दुआ की थी। और उनके पहले हज़रत

1. सही बुखारी, किताबुल अज़ान, सीरत इब्ने हिशाम 1/508–509

आदम अलैहिस्सलाम ने भी इस जगह को इबादत की जगह बनाई थी। इस तरह यह अल्लाह का सबसे पहला घर कहलाया और दुनिया का सबसे केन्द्रीय इबादत खाना बना, जैसा कि खुद अल्लाह तआला ने फरमायाः—

"पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुक़र्रर किया था, वही है जो मक्के में है, बाबरकत और दुनिया के लिए हिदायत का ज़रिया"। (आले इमरानः 96)

इस तरह वह क़िब्ला बनने का मुसतहिक़ (पात्र) मालूम होता था, लेकिन उसको क़िब्ला बनाने का जब तक खुदा की तरफ़ से आपको हुक्म न मिले आप सिर्फ अपनी ख़्वाहिश पर अमल नहीं कर सकते थे सिर्फ ख़्वाहिश का इज़हार कर सकते थे। चुनांचे आपकी ख़्वाहिश को क़ुबूलियत मिली और बैतुल्लाह शरीफ़ को क़िब्ला बनाने का हुक्म 15 शअबान सन् 2 हिजरी में आ गया।

यह देरी शायद मुसलमानों को अपनी ख़्वाहिश और राय को कुछ समय तक दबाने का अभ्यास कराने के लिए थी, शायद इसीलिए हुक्म आने में ताख़ीर (देर) हुई। बहरहाल काबे को दोनों मस्जिदों अर्थात मस्जिद बैतुल मुकद्दस और मस्जिद नबवी से ज़्यादा अफ़ज़ल (सर्वोत्तम) क़रार दिया गया। हुक्म नाज़िल हुआ "अपने चेहरे का रुख़ मस्जिदे हराम की तरफ करो"। यह हुक्म आपके मदीना तशरीफ लाने के एक साल चार माह बाद आया[1]। इस बीच में आपने यहां से मस्जिद बैतुल मुकद्दस के रुख पर नमाज़ें अदा फरमायी।

यह बात यहूदियों को बुरी लगी, क्योंकि वह अस्ल इबादतगाह होने का हक़ सिर्फ अपनी इबादतगाह बैतुल मुकद्दस समझते थे। लेकिन अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुहम्मद सल्ल0 को इस तरह शामिल फरमा दिया कि दोनों की शरीअत एक शरीअत हो गई थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बनी इस्राईल को हासिल शुदा ख़ुसूसियत (प्राप्त की हुई विशेषता) बनी इस्राईल से हट कर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ मुन्तकिल हो गई थी, और काबे से तअल्लुक़ का मामला दोनों में यकसां था और अब दीनी रहबरी की विरासत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ मुन्तकिल हो गई थी, लिहाज़ा बैतुल मुक़द्दस की मरकज़ीयत (केन्द्रीयता) काबे की तरफ मुन्तकिल हो गई।

इस्लामी समाज की तशक़ील (संरचना)-

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से मदीने मुनव्वरः को अपने क़याम का ठिकाना बना लेने से मस्जिद नबवी को भी एहमियत मिली, और मदीने शहर को भी इस लिहाज़ से ख़ुसूसियत हासिल हो गई और वहां से मुसलमानों के मआमलात व मसाएल और उनकी मज़हबी व समाज़ी ज़िन्दगी का नज़्म व इन्तिज़ाम

1. तब्क़ात इब्ने सअद 1/241, जादुल मआद 3/66

शेष पृष्ठ.....28 पर

यह भी हक़ तल्फ़ी है

—मुफ़्ती तन्ज़ीम आलम कासमी —प्रस्तुतिः अफीफा सिद्दीक़ा मोमिनाती (बी.ए.)

हक़ तल्फ़ी अज़ीम तरीन गुनाह है, जिसे क़ियामत के दिन भी मआफ़ नहीं किया जाएगा, जब तक कि मज़लूम खुद मआफ न कर दे या हक तल्फ़ी करने वाले से उसका बदला न दिलवाया जाए। कुर्आन व हदीस में हुकूकुल इबाद की बड़ी अहमियत बयान की गई है और मुख़्तलिफ़ उसलूब में बन्दों पर यह वाजेह कर दिया गया है कि अगर दुनिया में किसी ने दूसरे का हक़ दबा लिया और मौत से पहले उसकी परवाह न की, यहां तक की वह इसी हाल में दुनिया से रुख़्सत हो गया तो रोज़े महशर जब कि एक–एक नेकी के लिए लोग मोहताज होंगें, हक तल्फ़ी के एवज़ ज़ालिम की नेकियां मज़लूम को दे दी जाएंगी और अगर नेकियां ख़त्म हो गयीं तो मज़लूम के गुनाह ज़ालिम के सर पर लाद दिये जाएंगे। चुनांचि बहुत से नमाज़ पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, ज़कात, हज, जिहाद और दूसरी आला तरीन इबादत अन्जाम देने वाले उस दिन इसलिए खाली हाथ हो जाएंगे कि बन्दों के हुकूक तल्फ़ करने का गुनाह उनके सरों पर था, जिनके सबब वह नेकियों से महरूम कर दिये जाएंगे और उनके बारे में जहन्नम का फ़ैसला किया जाएगा। ऐसे ही लोगों को अहादीस में हक़ीकी मुफ्लिस करार दिया गया है। हक़ तल्फ़ी किये जाने की बाज़ सूरतें बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिनसे अदना दीनी शऊर रखने वाले भी अच्छी तरह वाक़िफ हैं। जैसे नाप–तौल में कमी करना, किसी की ज़मीन को दबा लेना, दूसरे के माल व जायदाद पर नाजाएज़ क़ब्ज़ा करना, कर्ज़ लेकर वापस न करना वग़ैरह, यह ऐसे हुकूक़ हैं जिनकी मअसियत से तक़रीबन हर मुसलमान वाक़िफ़ है और उसे खुदा की नाराज़गी का ज़रीआ समझता है। लेकिन हक़ तल्फी की बाज़ ऐसी भी सूरतें हैं जिनसे आम तौर पर मुसलमान नावाक़िफ़ हैं, और अगर उन्हें इल्म भी है तो एक मामूली गुनाह समझ कर नज़र अन्दाज़ कर देते हैं। हालांकि वह अपनी मानवी कैफियत के एतिबार से निहायत मुज़िर और बड़े गुनाह के मोजिब हैं। उनमें से चंद सूरतें मिसाल के तौर पर बयान की जा रही हैं:–

ट्रेफिक सिग्नल को तोड़ कर बढ़ना–

1. ट्रेफिक नज़्म व ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से जगह–जगह ट्रेफिक सिग्नल लगाये गये हैं, सुर्ख सिग्नल का मतलब इस ओर आने वालों लोगों को रुक जाने का इशारा देना है, उनको रोक कर दूसरी जानिब ट्रेफिक के बहाव को जारी करना मक़सूद होता है, ताकि हादसात और

सड़कों के हवादिस से लोग महफ़ूज़ रहें। अब अगर कोई शख़्स लाल सिग्नल को छोड़ कर आगे बढ़ जाता है तो यह हक़ तल्फ़ी का मुर्तकिब होगा। इसलिए कि हुकूमत ने उसे रोक कर दूसरों को गुज़रने का हक़ दिया है। खिलाफ़े नज़्म उसके गुज़रने से दूसरों को उलझन पेश आयेगी और वह अपनी रफ़्तार से आज़ादी के साथ नहीं गुज़र सकेंगे। गोया ट्रेफिक विभाग की जानिब से उनको दिया गया हक़ उस गुज़रने वाले शख़्स से छीन लिया। जो सिर्फ बद अख़्लाक़ी और बेक़ायदगी के ज़ुमरे ही में नहीं आता बल्कि दीनी एतिबार से भी अज़ीम तरीन गुनाह है। क़ियामत के दिन दीगर हुकुकुल इबाद की तरह इसका भी मुवाख़्ज़ा होगा और सज़ा के मुस्तहिक होंगे।

आज के समाज और मुआशरे में ट्रेफिक निज़ाम से हद दरजा ग़फलत बरती जाती है। ज़हनों में यह बात बैठी होती है कि उसका दीन और शरीअत से क्या तअल्लुक़ है? ज़्यादा से ज़्यादा यह ग़ैर अख़्लाक़ी और महकमा ट्रेफिक के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्ज़ी हो सकती है। इसी सोच और फिक्र की वजह से ट्रेफिक कवायेद की शबो रोज़ खिलाफ़ वर्ज़ी की जाती है और पेशानी पर कोई शिकन नहीं आती, ज़मीर पर कोई बोझ महसूस नहीं होता, और न ही उसके गुनाह होने का एहसास होता है। ज़ाहिर है कि जिसके गुनाह होने का भी एहसास न हो और जिसे शरीअत की ख़िलाफ वर्ज़ी भी न समझी जाये उससे रुकने और अपने तर्जे अमल में तब्दीली लाने का सवाल ही क्या है? यही वजह है कि खुद मुसलमान और अच्छे पढ़े–लिखे लोग भी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किये गये ट्रेफिक निज़ाम की परवाह नहीं करते और नतीजतन सड़कों पर होने वाले हादसात में रोज़ बरोज़ इज़ाफ़ा होता जा रहा है।

ट्रेफिक सिग्नल के उसूल को तोड़ कर आगे बढ़ना बजाहिर मामूली सी चीज़ मालूम होती है, मगर हादसात की शक्ल में बसा औक़ात इसके नताइज़ बड़े भयानक और शदीद नुकसान के हामिल होते हैं। गौर किया जाये तो दीनी इतिबार से भी इसमें कई एक हक़ तल्फ़ी गुनाह जमा हैं।

2. अज़ियत रसानी का कि इससे दूसरों को सख़्त तकलीफ और उलझनें पेश आती हैं।

3. कानून शिकनी का इसलिए कि जो क़वानीन हुकूमत की तरफ़ से उमूमी मसलिहत के लिए बनाये जायें और वह शरीअत के खिलाफ़ न हों तो उनकी पाबन्दी शरई इतिबार से भी वाजिब है।

4. गुनाह यहां वादा खिलाफी का भी है, क्योंकि ड्राईविंग लाइसेंस ऐसे शख़्स को दिया जाता है जो महकमा ट्रेफिक की जानिब से मुक़र्रर करदा तमाम क़वानीन की पाबन्दी करने का अहद करे, लाइसेंस लेते वक़्त हुक्काम को अगर बता दिया जाये कि वह क़वानीन ट्रेफिक की पाबन्दी नहीं करेगा तो उसे हरगिज़ लाईसेंस नहीं दिया जाएगा।

गौर करने की बात है कि ट्रेफिक के लाल इशारे को पार करना जिसे हम रोज़ मर्रह ज़िन्दगी में मामूली समझते हैं, वह दुनियावी इतिबार से नुक़्सानदेह होने के साथ दीनी और शरई नुक़्ते नज़र से भी किस क़द्र ख़तरनाकी का बाइस है।

हक़ तल्फ़ी जैसे अज़ीम गुनाह के साथ दूसरे तीन अहम गुनाह भी इसमें जमा हैं। शबो रोज़ हम किसी तकलीफ के बग़ैर यह गुनाह अपने दामनों में समेट रहे हैं और ख़्याल भी नहीं आता कि हम से कोई गुनाह सरज़द हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि रास्ता चलते हुए सब्र, क़ूव्वते बर्दाश्त और ट्रेफिक निज़ाम की पाबन्दी की जाए। इससे हादसात भी कम होंगे और दीनी इतिबार से गुनाहों से हिफाज़त होगी।

सड़कों को रोक कर जलसा जुलूस करना-

आम सड़कों और गुज़रगाहों से पूरी कौम का हक़ मुतअल्लिक़ होता है। ऐसा रास्ता जो किसी का ज़ाती और निजी न हो उससे हर एक को किसी वक़्त के क़ैद के बग़ैर गुज़रने का हक होता है। लिहाज़ा सड़कों पर जल्सा –जुलूस करना, शादियों में बारात ठहराना या खाने–पीने का नज़्म करना खुशी या ग़म के मौक़ों पर मुतअल्लिकीन को उठने–बैठने के लिए कुर्सियां और शामियाने लगाना दुरुस्त नहीं है। इसकी वजह से जितनी देर सड़कों पर आमदो रफ़्त का निज़ाम मुतास्सिर होगा, आम लोगों के हुक़ूक़ तल्फ़ होते रहेंगे। गोया सड़कों को इस तरह रोकने वालों ने उनके हुक़ूक़ सल्ब कर लिए, जो उस रास्ते से उन औक़ात में गुज़रने वाले थे। यह भी हक़ तल्फी की ऐसी सूरत है जिसकी तरफ उमूमन लोगों का जेहन नहीं जाता। यही वज़ह है कि किसी शदीद मजबूरी के बगैर मामूली काम के लिए भी मसरूफ तरीन रास्तों पर रुकावट खड़ी कर दी जाती है। जिससे सैकड़ों इन्सान परेशानी में मुब्तिला हो जाते हैं और इस शदीद नुकसान का अन्दाज़ा उस शख़्स से पूछिए जो अपने बीमार को हॉस्पिटल ले जा रहा हो और बीमार बेचैनी और करब में मुब्तिला हो, ना जाने किस वक़्त उसका दम टूट जाए। ऐसे बीमार शख़्स के लिए एक–एक लम्हा क़ीमती है। किसी जल्सा या तक़रीब के तहत रास्ता रोक लेने से उस को जो तकलीफ पहुंचेगी क्या इसका अन्दाज़ा किया जा सकता है? इसी तरह कोई मुसाफिर रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पहुंचना चाहता हो और ट्रेन के चलने या हवाई जहाज़ के परवाज़ में बहुत कम वक़्त बाक़ी रह गया हो, उसके लिए पाँच–दस मिनट का वक़्त भी बहुत कीमती है। सड़क पर रुकावट खड़ी करने से मुतबादिल दूसरी राह तलाश करनी होगी और इस तरह यक़ीनन दस–बीस मिनट की ताख़ीर होगी तो देखने में यह दस–बीस मिनट की ताख़ीर है, लेकिन इस ताखीर के नतीजे में बीमार रुख़्सत हो सकता है और मुसाफिरीन अपने सफ़र से महरूम भी हो सकते हैं।

शरीअते इस्लामी ने

लोगों को मामूली तकलीफ पहुंचाने से भी मना किया है। इसलिए ऐसा काम करना मना है, जो दूसरों की तकलीफ का कारण हो। चाहे वह काम नेक और बेहतर ही क्यों न हो। मसलन नमाज़ पढ़ना एक बेहतरीन अमल है, इससे खुदा का कुर्ब हासिल होता है, ताहम आम गुज़रगाहों के क़रीब सुतरह के बग़ैर नमाज़ पढ़ने से मना किया गया है। इसलिए कि इसके नतीजे में गुज़रने वालों को कुछ देर अपना सफर मौकूफ़ करना होगा।

इसी तरह मसाजिद में तन्हा नमाज़ पढ़ने वालों को भी हिदायत दी गई है कि सहन के बीचो बीच इस तरह नमाज़ न पढ़ें की गुज़रने वालों को तकलीफ़ हो, बल्कि सुतून के पीछे या दीवार से क़रीब या किसी एक किनारे में नमाज़ पढ़ें। यह हिदायत इसलिये है कि नमाज़ी के सामने से गुज़रना सख़्त गुनाह है और इस गुनाह से बचने के लिए एक मुसलमान कोशिश करता है कि हत्तल इम्कान नमाज़ी के सामने से न गुज़रे तो उस गुज़रने वाले शख़्स को कुछ देर इसकी वजह से ठहरना होगा और यह उसकी तक़लीफ और मशक्कत का बाइस है। मुमकिन है कि कोई अहम ज़रूरत उसे दरपेश हो, जिसके सबब वह जल्दी से जाना चाहता हो और उसकी नमाज़ उसके लिए रुकावट बनेगी। इसलिए जहां शरीअत ने नमाज़ी के सामने से गुज़रना मना किया है वहीं नमाज़ पढ़ने वाले को भी हिदायत दी है कि वह दूसरों के मशक्कत का बाइस न बने। बल्कि यहां तक फुकहा ने सराहत की है कि अगर कोई नमाज़ी आम गुज़रगाहों पर सुतरह के बग़ैर नमाज़ पढ़ने लगे या मस्जिद के सहन में बीचो बीच नमाज़ के लिए खड़ा हो जाये और कोई शख़्स उसके सामने से गुज़रने पर मजबूर हो जाये तो उसके गुज़रने का गुनाह नमाज़ पढ़ने वाले पर होगा। सामने से गुज़रने वाले पर नहीं। अन्दाज़ा कीजिए कि अज़िय्यत रसानी को शरीअत ने किस हद तक ना पसन्द किया है। इसलिए सड़कों पर इस तरह की कोई भी तक़रीब या अमल जिससे लोग और आम मुसाफिरीन अज़िय्यत महसूस करें, शरई नुक़्ते नज़र से दुरुस्त नहीं होगा।

बाज़ लोग दीनी जल्सों और इज्तिमाआत के लिए तावीलें पेश करते हैं कि इससे आम लोगों को नफ़ा होगा और यह हर एक के हक में कारे ख़ैर है, लिहाज़ा इसकी इजाज़त होगी। मगर इस तरह की तावीलात ग़ैर शरई और मिज़ाजे शरीअत के ख़िलाफ़ है। हज़रत सहल बिन मआज़ अपने वालिद से नक़्ल करते हैं कि वह एक मर्तबा रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हमराह जिहाद में गये। एक जगह सहाबा किराम ने इस तरह पड़ाव डाला कि जगह तंग हो गई और रास्ता रुक गया कि जिससे आने–जाने वालों को परेशानी होने लगी। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुनादी करने वाले के ज़रिये एलान फ़रमाया "बिला शुबा जिस शख़्स ने जगह को तंग कर दिया या

रास्ता रोक लिया उसको जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा''। (सुनन अबी दाऊद, किताबुल जिहाद, हदीस नं0 2260) बिला शुबा जिहाद एक आला तरीन अमल है, मुजाहिदीन और ग़ाज़ियों के बुलन्द मक़ाम व मर्तबा पर कसरत से रिवायत मनकूल है, मगर जब इसके ज़रिए दूसरों को ज़रर और तकलीफ़ पहुंचने लगी तो सख़्ती से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मना फरमाया और इस अहम तरीन इबादत को बे फायदा क़रार दिया। इस रिवायत से यह पैग़ाम मिलता है कि जल्सा–जुलूस, इज्ति–माआ़त, तकरीब या किसी और मौक़े पर रास्ता ना रोका जाए और ना उसे तंग किया जाए। इसके लिए दूसरी जगह तलाश की जाए। बिल खुसूस जल्सों और इज्तिमाआ़त के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए कि वह रास्तों में न किये जाएं। यक़ीनन यह इज्तिमाआ़त क़ाबिले क़द्र और निहायत मुफीद हैं मगर इस नेक काम के लिए गलत तरीक़ा इख़्तियार करने से वह बेफैज़ हो जाएंगे। ताहम वाज़ह रहे कि ऐसा रास्ता जो आ़म गुज़रगाह न हो और उस रास्ते से जिनके हुक़ूक़ मुतअल्लिक़ हैं, वह राज़ी हों तो सख़्त मजबूरी के तहत वहां इजलास या दूसरी तक़रीब की गुंजाइश होगी।

लॉउडस्पीकर का बेजा इस्तेअ़माल–

जल्सा–जुलूस और इज्तिमाआ़त के लिए ज़रूरत के वक़्त लॉउडस्पीकर के इस्तेअ़माल में कोई हर्ज नहीं। लेकिन बिला ज़रूरत इसका इस्तेअ़माल करना या ज़रूरत से ज़्यादा और बे वक़्त इस्तेअ़माल दुरुस्त नहीं है। वह लोग जो बीमार होते हैं या दरसो तदरीस और इल्मी कामों में मसरूफ रहते हैं, उनके लिए यह अज़िय्यत का सबब है। इसी तरह अतराफो अकनाफ और क़ुर्बो जवार में सोने वालों की नींद मुतअस्सिर होती है। वह राहतो सुकून की सांस नहीं ले सकते। इसकी वजह से उन्हें ग़ैर मामूली उलझन और बेचैनी महसूस होती है। उनमें बाज़ वह अफराद होते हैं जिन्हें सुबह ड्युटी पर जाना पड़ता है। अगर वह मुक़र्ररह वक़्त पर न सोयें तो उनका सारा निज़ाम बिगड़ जाता है और बड़ी दुश्वारी पेश आती है। इसलिए ख़्वामख़्वाह ज़रूरत से ज़्यादा और बे वक़्त लॉउड स्पीकर के इस्तेअ़माल की शरई नुक़्ते नज़र से इजाज़त नहीं होगी। इसमें अज़िय्यत का गुनाह है और हक़ तल्फी भी, इसलिए कि आरामो राहत और चैन व सुकून हर एक का ज़ाती हक़ है, जिसमें बेजा तसर्रुफ और ख़लल डालने का किसी को हक़ नहीं। वह लोग जो शोरो शग़ब और चीखो पुकार के जरिए या बिला वजह लॉउडस्पीकर इस्तेमाल करके क़ुर्बो जवार में लोगों को नुक़सान पहुँचाते हैं, वह हक़ तल्फी और अज़िय्यत रसानी के गुनाह में मुब्तला हैं। कियामत के दिन उसका भी मुवाख़्ज़ा होगा और उस दिन उन्हें शदीद मायूसी होगी।

कुर्आन क़रीम में नमाज़ पढ़ने वालों को क़िरात और तकबीरात की आवाज़ में एअ़तिदाल का हुक्म दिया है,

और हद से ज़्यादा आवाज़ निकालने को ना पसन्द करार दिया है। इरशादे बारी है (अल इसराः 110) अनुवादः "और अपनी नमाज़ न बहुत ज़्यादा बुलन्द आवाज़ से पढ़ो न बहुत पस्त आवाज़ से, उन दोनों के दर्मियान औसत दरजे का लहजा इख्तियार करो"। आयत से यह वाज़ेह हिदायत निकलती है कि क़िराते क़ुर्आन, तकबीराते नमाज़ और दुआ वग़ैरह में चीखना–चिल्लाना और हद से ज़्यादा आवाज़ निकालना ना पसन्दीदा है। एतिदाल में अपनी आवाज़ को रखने की कोशिश करनी चाहिए।

इसी आयत के पेशे नज़र हज़राते फ़ुक़हा ने किरात वग़ैरह में ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ को निकालने को मकरूह करार दिया है। अल्लामा शामी लिखते हैं "और इमाम लाज़मी तौर पर बक़द्रे जमाअत ही आवाज़ बुलन्द करे, अगर ज़्यादा किया तो उसने नापसन्दीदा अमल किया"। इन तफ़्सीलात से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि नमाज़ के जिये बिला ज़रूरत लॉउडस्पीकर लगाना मकरूह है। बाज़ इलाकों में लॉउडस्पीकर में नमाज़ पढ़ने को फैशन बना लिया गया है। मसाजिद में बहुत कम आदमी होने के बावजूद लॉउडस्पीकर लगाया जाता है और फिर नीचे के साथ ऊपर का माइक भी जोड़ दिया जाता है, जिससे पूरे मुहल्ले में आवाज़ गूँजती है। जो अज़रूए शरअ़ निहायत नामुनासिब है। एक मुसलमान हुक्मे शरीअ़त का पाबन्द है ना कि फैशन और ख़्वाहिशाते नफ़्स का! इसलिए लॉउड–स्पीकर का इस्तेअ़माल ज़रूरत के वक़्त ही किया जाना चाहिए। इससे यह भी मालूम होता है कि बिला ज़रूरत आवाज़ बुलन्द करने को शरीअ़त ने नापसन्द किया है। इसलिए नमाज़ के अलावा जल्से–जुलूस और तकरीबात के मौक़े पर भी ख़्वामख़्वाह आवाज़ बुलन्द करना और बेजा लॉउडस्पीकर का इस्तेअ़माल दुरुस्त नहीं होगा। बिल खुसूस जबकि वह दूसरों के लिए अज़िय्यत और मशक़्क़त का बाइस हो।

हक़ तल्फ़ी की एक सूरत यह भी है कि जहां लोगों की लाइन लगी हो और एक के बाद दीगर किसी चीज़ का इस्तिहक़ाक हासिल हो, वहां लाइन तोड़ कर आगे बढ़ जाना या लाइन लगे बग़ैर अपने तअ़ल्लुक़ात की बुनियाद पर लाइन में ठहरे हुए लोगों से पहले ही मतलूबा चीज़ हासिल कर लेना, मसलन बैंक में पैसे जमा करने या निकालने वाले सारिफीन की तअ़दाद बढ़ जाती है तो वहाँ नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाने के लिए लाइन बना कर लोग खड़े हो जाते हैं। अब कोई शख़्स बाद में आकर अपनी ताक़त की बुनियाद पर अपना काम पहले करा ले तो यह लाइन में ठहरने वाले अफराद की हक़ तल्फ़ी होंगी। क्योंकि लाइन में ठहरने की वजह से पहले उनका हक़ था कि वह काम कराएं। एक के बाद दीगर यह हक़ मुन्तक़िल होता है, मगर उनसे पहले उसने अपना काम कराके उनका हक़ तल्फ़ कर दिया, जो बिला शुबह शरई नुक़्ते नज़र से जुर्म और बड़े गुनाह का

मोजिब है। रेलवे और हवाई जहाज़ का टिकट लेने के लिए लाइन में आगे बढ़ने का मसला हो या रोज़ मर्रह ज़िन्दगी में दूसरों पर सबक़त का, इन तमाम सूरतों में हक़ तल्फ़ी और अजिय्यत पहुंचाने का गुनाह है।

शरीअ़त ने नज़मो ज़ब्त और तहज़ीब व शाइस्तगी की तअ़लीम दी है। कोई ऐसा अमल जिससे नज़्म मुतअस्सिर हो, दूसरों के लिए वह तकलीफ का बाइस होता है, इसलिए इसकी मुमानिअ़त आई है। हज़रत अनस रज़ि0 का बयान है कि एक मर्तबा रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को पीने के लिए बकरी का दूध एक प्याले में दिया गया, आपके दाएं तरफ़ एक देहाती था और बाईं तरफ हज़रत अबू बक्र रज़ि0 थे, हज़रत उमर रज़ि0 वहीं मौजूद थे, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! अब बचा हुआ दूध अबू बक्र रज़ि0 को दीजिए (क्योंकि वह लोगों में अशरफ और बा कमाल थे)। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने वह प्याला उस देहाती को दिया जो दाएं जानिब था और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया "दायां फिर बायां का लिहाज़ रखो" (सही बुखारी हदीस नं0 2181)।

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि0 अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चहेते और आला दर्जे के मालिक थे, मगर वह चूंकि बाईं तरफ थे इसलिए आपने बचा हुआ दूध का प्याला उनको इनायत नहीं किया। इसलिए कि शरीअ़त ने उसूल मुकर्रर किया है कि किसी चीज़ का आग़ाज़ दायें जानिब से करना चाहिए, दायें तरफ देहाती था इसलिए इस उसूल की रौशनी में बचा हुआ दूध उन्हीं का हक़ था। फिर यह भी वज़ाहत की कि एक के बाद दीगर एक दूसरे को दिया जाये, आखिर में वह प्याला हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ को मिला, इससे रौशनी मिलती है कि क़तार में ठहरे हुए लोगों का एक के बाद दीगर हक़ होता है। किसी के लिए ज़ाएज़ नहीं कि किसी को इस हक़ से महरूम कर दे या इसमें ख़लल पैदा करे।

दूसरे की मुलाज़िमत पर ग़ायबाना क़ब्ज़ा-

आज कल समाज में यह तरीक़ा निहायत ग़लत चल पड़ा है कि हुकूमत की जानिब से मुलाज़िमत के लिए किसी का नाम तय कर दिया जाता है, उसकी मंजूरी के काग़जात भी भेज दिये जाते हैं, मगर बाज़ लोग रिश्वत देकर या सरकारी अफसर से तअ़ल्लुक़ात की बिना पर नाम तब्दील करा देते हैं। यह सरासर ज़ुल्म और हक़ तल्फी है। वह हक़ जो हुकूमत की जानिब से एक मुस्तहिक़ को दिया गया, उस शख़्स ने उसके हक़ को सल्ब कर लिया, और यह ऐसा हक़ है जिसके सल्ब करने से इस मुस्तहिक़ शख़्स की पूरी मआ़शी ज़िन्दगी मुतअस्सिर होगी और उसको शदीद नुक़सान होगा। इसका सबब चूंकि यह शख़्स बना इस लिए उसका पूरा वबाल उस पर होगा। रसूले अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मौक़े पर इरशाद फरमाया "कोई शख़्स अपने

भाई की बैअ़ पर बैअ़ ना करे और न अपने भाई के पैग़ामे निकाह़ प़र पैग़ाम दे जब तक कि उसकी सरीह इजाज़त न मिल जाये''। (सही मुस्लिम किताबुन्निकाह हदीस नं0 2551) बैअ़ मुकम्मल हो जाने या रिश्ता निकाह़ मन्जूर कर लेने के बाद अब किसी को उस पर दख़ल अन्दाज़ी का हक़ नहीं है। क्योंकि बात तय हो जाने के बाद वह उसका हक़ हो गया। अब इसमें किसी तरह की कोशिश से तब्दीली ग़ासिबाना क़ब्ज़ा के बराबर होगा। ठीक इसी तरह यहां भी मुलाज़िमत के लिए नाम के इन्तिख़ाब के बाद अपनी कोशिश और मेहनत से नाम का तग़य्युर ममनू करार पायेगा और उस पर ग़ासिबाना क़ब्ज़ा होगा जिसकी शरअ़न इजाज़त नहीं।

बसा औक़ात किसी कम्पनी या इदारे में काम करने वाले अहलकार या मालिक से एक दूसरे की शिकायत इसलिए करते हैं, ताकि वह उनकी नज़र में मशकूक हो जाए और अ़दमे इतमिनान के सबब उनको मुलाज़िमत से ख़ारिज कर दे। उसका मक़सद अपने किसी क़रीबी शख़्स या दोस्त अहबाब को वहां दाख़िल करना होता है। यह हक़ तल्फी और ज़ुल्म व ज़्यादती के साथ इन्सानियत से गिरी हुई हरकत और सख़्त बेहिसी भी है। हर शख़्स को अपनी वुसअ़त के एतिबार से रिज़्क़ की कोशिश का हुक्म दिया गया है। मगर वह कोई ऐसी कोशिश न हो जिससे दूसरों का नुक़सान होता हो या कम अज़कम दिल आज़ारी हो। ख़ुदा रज़्ज़ाक़ है, उसकी रज़्ज़ाकियत पर हर एक को कामिल यकीन होना चाहिए। रिज़्क़ के हज़ार जायज़ रास्ते मौजूद हैं। किसी एक को मुन्तख़ब करके अपनी मआ़शी ज़िन्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। लेकिन रिज़्क़ के अगर नाजायज़ रास्ते इख़्तियार किये गए तो उनसे भी सुकून का रिज़्क़ हासिल नहीं किया जा सकता।

हमारे मुल्क में सड़कों के नाजायज़ कब्ज़े का चलन भी आम है। अपने मकान या दुकान या दुकान के सामने गुज़रती हुई सड़क के बेश्तर हिस्से पर क़ब्ज़ा जमा लिया जाता है। जिससे चलने वालों को परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यह भी हक़ तल्फी की एक सूरत है। इसलिए कि यह सड़क आ़म गुज़रगाह होती है। इससे सारे अवाम का हक़ मुतअ़ल्लिक़ होता है। किसी का घर या दुकान और ज़मीन और जायदाद सड़क के किनारे होने से उसकी मिलकियत नहीं होती है और न दूसरों के मुक़ाबले में उसका हक़ ज़्यादा होता है। इसलिए अपने घर या दुकान के सामने गुज़रने वाली सड़क का इस तरह इस्तेमाल कि जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे और गुज़रने वालों के लिए बाइसे मशक्क़त हो, दुरुस्त नहीं है। इसमें हक़ तल्फी के गुनाह के साथ ईज़ा रसानी और अवामी ज़मीन पर नाज़ायज़ कब्ज़े का गुनाह शामिल है। एक मुसलमान को इससे परहेज़ करना चाहिए कि दुनिया में अगर किसी ने क़ुव्वतो ताक़त या फित्ना पैदा होने के खौफ

की वजह से कुछ नहीं कहा तो आख़िरत में उसकी ज़रूर बाज़ पुर्स होगी और इन्द–अल्लाह जवाब बहर हाल देना होगा। इसीलिए हज़राते फुक़हा और माहिरीने शरीअ़त ने सड़कों पर दुकान लगाने या इस पर किसी तरह के कब्ज़े को नाजायज़ करार दिया है। बल्कि अपनी वह खिड़की जो सड़क के किनारे हो उसपर इस तरह छज्जा डालना कि सड़क का कुछ हिस्सा उसके नीचे आ जाये, इससे भी मना किया है। हालांकि छज्जा डालने से जमीन पर क़ब्ज़ा नहीं होता बल्कि फज़ा का बहुत थोड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता है। अन्दाज़ा कीजिए कि शरीअ़त इस सिलसिले में कितनी हस्सास है।

बड़ी हक़ तल्फी और ईज़ा रसानी यह भी है कि किसी जाइज़ या नाजाइज़ मुतालबे के लिए एहतिजाजन खुद काम न करना, न दूसरों को काम करने देना और सड़क जाम करके जाने कितने मरीज़ों को ख़तरनाक हालत में पहुंचा देना, कितने तालिब इल्मों का इम्तिहान छुड़ा देना और न जाने कितने मुसाफिरों की रेल और हवाई जहाज़ छुड़ा देना, मुतालबा चाहे जाईज़ क्यों न हो इसमें हज़ारों की हक़ तल्फी है।

बड़ी हक़ तल्फी मुला–ज़िमीन या ऑफीसरों का वक़्त की पाबन्दी न करना और कामचोरी करना है। नीज़ ड्यूटी के औकात में अपना ज़ाती काम करना, इन सब बातों का वबाल जब ही मालूम होगा जब हश्र के मैदान में हिसाब व किताब होगा।

यह और इस तरह की बहुत सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें लोगों के हुकूक़ तल्फ किये जाते हैं और इसके नतीजे में नाकाबिले मआफी जुर्म और सख़्त गुनाह के मुरतकिब होते हैं, और इसका हमें एहसास भी नहीं होता। लोगों ने दीन व शरीअ़त को मसाजिद, मदारिस, नमाज़, रोज़ा और चंद मख़्सूस इबादतों में महसूर कर रखा है और इन्हीं चीज़ों का वह अपने आप को मुकल्लफ़ समझते हैं। हालांकि शरीअ़त ज़िन्दगी के हर शोबे को मुहीत है। पैदाइश से मौत तक ज़िन्दगी का कोई ऐसा गोशा नहीं, शरीअ़त ने जिसके उसूल न बयान किये हों। बिल ख़ुसूस हुकूकुल इबाद का शोबा इन्तिहाई संगीन और हस्सास है। कुर्आन व हदीस में उन लोगों के लिए सख़्त वईद बयान की गई है, जो दूसरे का हक़ ग़सब करके दुनिया से रुख़सत हो जाएं। ख़ुदा ग़फूरुर्रहीम है, वह कियामत के दिन चाहे अपने हुकूक माफ़ कर देग़ा मगर बन्दों के हुकूक़ माफ नहीं करेगा। बल्कि हर हक़ का बदला साहिबे हक़ को दिलाया जायगा। जबकि एक–एक नेकी भी उस दिन दुनिया व माफीहा से अफ़ज़ल होगी।

हक़ तल्फी की इस कद्र वईद के बावजूद दूसरों के माल व जायदाद पर क़ब्ज़ा कर लेने को आसान समझ लिया गया है। फिर हक़ तल्फी की जिन सूरतों का ऊपर तज़किरा किया गया है उनका पूछना ही क्या। शबो रोज़ उन जैसे हुकूक़ का तल्फ़ करना हमारा शेवह बन

शेष पृष्ठ.....33 पर

मदरसों के छात्रों से कुछ बातें

—मौलाना सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी —अनु0 नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको असाधारण चीज़ दी है, लेकिन आँख खोल कर देखना पड़ेगा, अक़्ल के दरवाज़े को खोलकर समझना पड़ेगा और उसकी कद्र करनी पड़ेगी। और उसकी तराश–ख़राश करनी पड़ेगी। देखिये एक मोती है, उसमें जब छेद किया जाता है तो उसकी कीमत एक दम आसमान छूने लगती है, लेकिन उसमें छेद करना आसान काम नहीं है। बड़े–बड़े विशेषज्ञ उसके लिए बुलाये जाते हैं तो यदि मोती में सही छेद हो जाए तो वह बड़ा कीमती हो जाता है, तो अब आपको कुर्आन मिल गया अर्थात मोती मिल गया तो अब आप उसमें छेद कैसे करेंगे? कुर्आन तो अपनी जगह है तो बड़ा कीमती! लेकिन जब उसमें छेद किया जाता है तो एक दम से उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो उसके लिए बड़े–बड़े लोग लाये जाते हैं। ये गुरू (उस्ताद) तो इसीलिए जाते हैं कि इस मोती में छेद करें और आपको देदें ताकि उसकी कीमत एक दम से बढ़ जाए और आसमान छूने लगे। और आप यहां से जाएं तो बन जाएं। उसके लिए तराश–ख़राश करनी पड़ती है, और उसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि कोई आदमी जिसके लिए आया है वही काम न करे, दूसरे काम में लगा रहे तो क्या होगा?

"कलीलह दिम्ना" पढ़ी है आपने? जो किसी कक्षा में पढ़ाई जाती है। उसमें एक किस्सा लिखा है कि एक आदमी था, उसके हाथ में मोती आ गया, उसने सोचा कि इसमें छेद कराने के लिए किसी विशेषज्ञ को लाया जाए। अतः उसने एक बड़े माहिर कारीगर को बुलाया और कहा कि तुम दिन भर मोती में छेद करना और शाम को हम तुम्हें बहुत कुछ देंगे, तो उसने कहा बहुत बढ़िया!

दूसरे दिन सुबह जब वह आया तो उससे पूछा कि भाई तुम कहां रहते हो? उसने कहा, फलां जगह। क्या करते हो? कहा, यही मोती में छेद करता हूँ और हाँ गाता भी हूँ। उसने कहा, कुछ सुनाओ। जब सुनाना शुरु किया तो वह मस्त हो गया। कहा, एक और सुनाओ, तो उसने और सुनाया, फिर दोनों बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यार! एक और सुनाओ, मज़ा आ रहा है। इस प्रकार वह पूरे दिन ग़ज़ल सुनने में डूबा रहा। जब शाम हुई तो उसने कहा, पैसे लाइये। मोती मालिक ने कहा, कैसे पैसे? अरे भाई! मोती में छेद करने के पैसे। उसने कहा, वह तो आपने किया ही नहीं। कहा, उससे क्या मतलब, आप दिन

भर मुझे रोके रहे और मुझसे काम लेते रहे। मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मेरे पैसे दीजिए, आपको देने पड़ेंगे, चाहे मोती में छेद हुआ हो या न हुआ हो। मैं तो अपने वक़्त का ज़िम्मेदार हूँ, जितना वक़्त मैं लेकर आया था मुझे उसके पैसे चाहिए। तो ऐसा ही मामला अल्लाह न करे आपके साथ हो।

आप यहाँ आए हैं इल्म के लिए, तो आपको आदरणीय गुरुजन (असातिज़ह) से केवल यही सीखना चाहिए और उसके पीछे पड़े रहना चाहिए ताकि आपका मोती कीमती हो जाए और उसमे चार चाँद लग जाए। लेकिन आपने उस्ताद को धोखा दिया, हाज़िरी दी और पीछे से रफूचक्कर हो लिए, तो उनका परिणाम क्या होगा। वह समझते हैं कि मैंने उस्ताद को धोखा दे दिया, जबकि उस्ताद को धोखा नहीं दिया बल्कि अपने आपको धोखा दिया। कहना यही है कि यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे, अच्छी नीयत से पढ़ेंगे, अदब के साथ पढ़ेंगे तो जो अल्लाह ने आपको ये दौलत दी है वह चमक उठेगी और ऐसा नफा मिलेगा कि जिसका अनुमान आपको नहीं है कि आप क्या से क्या हो जाएंगे। देखने में तो मामूली इन्सान हैं, लेकिन जब यही आलिम हो जाता है तो उसमें चार चाँद लग जाते हैं। जिसको कहा जाता है कि पहले आप मुल्ला बनें। आज आप तो घबरा जाते हैं, यदि कोई आपको मुल्ला कह देता है। दरअस्ल बात ये है कि गुज़रे ज़माने में "मुल्ला" कहते थे "अल्लामा" को। पहले आदमी मुल्ला बनता है, फिर वह मौलवी बनता है, फिर मौलाना बनता है, फिर अल्लाह का प्रिय बन्दा बनता है, फिर महबूबे खास व आम बनता है।

अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल करें-

आप अपनी दौलत के साथ अपनी नेमत के साथ बढ़ते चले जाइये तो आपको अल्लाह नवाज़ेगा, यहाँ तक कि आप मौलाना अली मियाँ बन जाएंगे। ये जो हमारे अली मियाँ थे, ये कोई मक्का मुकर्रमा, बैतुल्लाह के अन्दर से थोड़ी निकले थे बल्कि वह यहीं से निकले कि सारे बड़े–बड़े देश के सुप्रीम, प्रधान और अपने–अपने ज़माने के मंत्री सबके सब उनके पास आते थे। और हिन्दुस्तान का शायद ही कोई प्रधानमंत्री हो जो अली मियाँ रह0 से मिलने न आया हो। हालांकि मौलाना भी यही नदवा के पढ़े हुए थे, कहीं और से थोड़ी पढ़ कर आये थे। लंदन, अमेरीका में भी नहीं पढ़ा था। हां! बाद में यहां से पढ़ने के बाद गये। लेकिन लंदन व अमेरीका वालों को पढ़ाया। जब आदमी इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो पूरी दुनिया उनके बस में होती है। हमारे हज़रत मौलाना रह0 की माँ हज़रत मौलाना के लिए बहुत दुआ करती थीं और सारी दुआएं कुबूल हुईं। और खासतौर पर ये कि अल्लाह उन्हें हज़रत अबू बक्र रज़ि0, हज़रत उमर रज़ि0, हज़रत उस्मान रज़ि0 और हज़रत अली रज़ि0 की तरह बना दे। अश्रा मुबश्शरा (दस भाग्यशाली) की तरह बना दे। ये दुआएं करती थीं, तो उनकी बहन

एक दिन कहने लगीं, ये तो चाहती हैं कि ये नबी बन जाएं। तो वह कहने लगीं कि मैं जानती हूं कि नुबुव्वत (ईशदौत्य) का दरवाज़ा बन्द हो गया है, लेकिन नुबुव्वत के अलावा सारे दरवाज़े खुले हैं, जो नुबुव्वत का दावा करे वह पक्का झूठा है। लेकिन इसके अलावा सारे दरवाज़े खुले हैं। लेकिन बात ये है कि कोई इस रास्ते पर लगे तो। जब लगेगा तो तरक्की करता चला चाएगा। और ये तभी होगा जब आप अपने आपको पहचानेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगें। अपने को न देखें, अल्लाह को देखें और अल्लाह ने आपके अन्दर जो योग्यताएं रखी हैं उनको देखें। अल्लाह ने हर आदमी के अन्दर योग्यता रखी है, बस इन सलाहियतों का सही इस्तेमाल करना आ जाए और इस सलाहियतों को मुर्दा करने वाली चीज़ों से बचें। क्योंकि मुर्दा करने वाली चीज़ें भी हैं, जैसे बे अदबी, हराम खाना, बदनिगाही व बद–अख़्लाकी। बुरी आदतें और ये बुरी चीज़ें हैं। ये रोड़े हैं रास्ते के। ये इन्सान को रास्ते से भटका देते हैं। वह कहीं से कहीं पहुंच जाता है। फिर वह किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए हमेशा दो चीज़ें ज़रूरी समझी गईं, एक तो रास्ते में रुकावटें न हों, दूसरा रास्ता समतल हो।

एक बात और कह देता हूँ कि ज़कात है, सदक़ा है। ये ज़कात देने वाले का मैल है। अब यदि कोई आदमी ज़कात खाएगा तो मैल उसके अन्दर आ जाएगा। ये जो ज़कात आती है मदरसे में, बच्चे खाते हैं, बहरहाल ज़कात मैल तो है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हां! अल्लाह ने आदेश दिया है कि यदि उस पर अमल किया जाए तो कोई समस्या नहीं। देखिए! ज़कात (धर्मादाय) जो है वह ज़कात देने वले को पाक करती है, और जिसको दी जा रही है यदि वह मुहताज है और वह ज़कात ले सकता है तो ये निर्धनता फिल्टर मशीन है। लेकिन यदि कोई ज़कात का हक़दार नहीं है, फिर भी ले रहा है तो मशीन है ही नहीं उसके पास। तो ज़कात का मैल उसके अन्दर सीधे चला जाता है। ये तो ज़कात का मसला है, लेकिन जो हराम खा रहा है, रिश्वत का, सूद का पैसा खा रहा है, किसी की ज़मीन मार रखी है तो वह कभी अच्छा आदमी बन ही नहीं सकता। इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि मुआमला अच्छा हो। अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है, और अल्लाह ने जो सिस्टम जिस्म का बनाया है, देखिए! जैसे ये खाल है, ये मौसम के लिहाज़ से बदलती रहती है, आपने देखा होगा कि किसी मौसम में ऊपर की खाल निकलने लगती है और नीचे से नई खाल आ जाती है तथा अन्दर भी नया खून बनता रहता है, पुराना खत्म होता रहता है। हर चीज़ के अन्दर अल्लाह ने ये बात रखी है तो तौबा के अन्दर भी अल्लाह ने ये तरीक़ा रखा है कि अब जैसे हराम माल चला गया तो अब हलाल माल खाइये और तौबा करते रहिए, तो उसका परिणाम ये होगा कि ओवर हालिंग होती रहेगी, हराम माल निकल जाएगा और हलाल माल उसकी जगह पर आ जाएगा और आप चमक उठेंगे। जैसे कड़वी

चीज़ आपने खा ली तो कड़वी चीज़ के बाद जब आप मीठी चीज़ खाना शुरु करते हैं तो कड़वी चीज़ का मज़ा जाता रहता है, यहाँ तक कि खत्म हो जाता है। अच्छाई बुराई को खत्म कर देती है और यदि उल्टा किया कि पहले अच्छा खाया फिर बुरा खाया तो ज़ाहिर है कि फिर मुआमला भी उल्टा हो जाएगा। अभी से आप सब तय कर लें कि आपको मन लगाकर मेहनत से तन्मयता के साथ पढ़ना है। अदब व तअल्लुक के साथ पढ़ना है। उस्ताद हों, मदरसा हो, किताबें वगैरह सब का अदब करना है। इन सबको सम्मान देने के साथ–साथ अपने तअल्लुक को सही तौर पर कायम करेंगे तो इन्शा–अल्लाह आप तरक्की करते चले जाएंगे। अल्लाह आपको ऊँचाइयों तक पहुंचाएगा। यहां तक कि लोग आप पर गर्व करने लगेंगे कि अल्लाहु अकबर! ये कैसा बच्चा है, ये हमारे यहां पढ़ता था। उस समय तो मालूम नहीं होता था, लेकिन देखिए कितना तरक्की कर गया। मेहनत को अल्लाह बर्बाद नहीं करता, लेकिन मेहनत–मेहनत के तरीके पर हो। जैसे बड़ा बोझ होता है ते उसे उठाने का तरीका होता है। बोझ की हैसियत से तरीके अलग–अलग अपनाए जाएंगे।

कौले सकील कहा गया कुर्आन में, जो आपके सीने पर उतारा जा रहा है तो उसके लिए क्या–क्या करना पड़ेगा, रात को उठना पड़ेगा, तहज्जुद पढ़नी पड़ेगी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना होगा, अल्लाह से मांगना होगा तो ये बोझ आप पर डाला जा रहा है, ये हल्का हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसे ही अल्लाह ने हमें कुछ चीज़ों के करने और कुछ चीज़ों से रुकने का आदेश दिया है तो हम उन चीज़ों पर अमल करेंगे तो ये जो बोझ है उलूमे दीनिया का, ये हल्का हो जाएगा, कुर्आन समझ में आने लगेगा, उस पर अमल आसान हो जाएगा, अमल में कैफियत पैदा हो जाएगी और करने में मजा आने लगेगा और ईमान की हलावत (मिष्ठता) मिल जाएगी, यहां तक कि सब काम आसान हो जाएगा।

आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आपको ठीक करें, फिर देखेंगे कि अल्लाह आपको कैसे नवाज़ता है। कमी सारी हमारी है, अल्लामा इक़बाल ने कहा है–

"हम तो माएल बकरम हैं,
कोई साइल ही नहीं।
राह दिखलाएं किसे,
रहबरे मंजिल ही नहीं"।।

अल्लाह की ओर से कहा था, कोई पूछे तब तो राह बताई जाए, किसको राह बताएं। तो हाल यही हो गया है। नफ्सा–नफ्सी का आलम है, कोई पूछना भी नहीं चाहता। सब मनमानी कर रहे हैं, तो उससे कहीं फायदा होने वाला है? अल्लाह के शुक्रगुज़ार बन्दे बन जाइए, फिर इन्शाअल्लाह उसके फायदे सामने आएंगे और दुनिया में भी आप इसका मज़ा पाएंगे और आखिरत (परलोक) में जो कुछ मिलने वाला है उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। ❑❑

क़ुर्आन में शैक्षिक तत्व

—डॉ0 इसपाक अली

मूल्यपरक शिक्षा की दृष्टि से क़ुर्आन की मूल्य–मीमांसा से क़ुर्आन के शिक्षा दर्शन के अध्ययन–विवेचन से प्राप्त सूत्रों व संकेतों को ग्रहण करना अभीष्ट होगा। इस ध्येय से क़ुर्आन में निहित शैक्षिक तत्वों का विवेचन अधोलिखित रूप में किया गया है।

शिक्षा की अवधारणा–

मानव समाज के अभ्युत्थान में शिक्षा का महत्व निर्विवाद है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की उपयोगिता स्वीकार की गई है। संसार में अनेक धर्म पाये जाते हैं। धर्म की सहायता से मनुष्य आध्यात्मिकता की ओर आकृष्ट होता है जिससे उसे मानसिक शान्ति और सुख प्राप्त होता है। इसी आधार पर एक सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च शक्ति की कल्पना सभी धर्मों ने की है। प्रेम, उदारता, सहिष्णुता, सहानुभूति, कर्तव्य परायणता आदि मानव की अमूल्य मान्यतायें हैं, और इनका समावेश सभी धर्मों में पाया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक धर्म के अनुसार मनुष्य का एक अन्तिम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति का प्रयास उसे करना चाहिए, परन्तु उस लक्ष्य को समझने एवं वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास एवं मार्ग दर्शन आवश्यक है। यह प्रयास एवं मार्गदर्शन जिस प्रकिया से होगा उसे शिक्षा की संज्ञा दी गई।

किसी भी धर्म में शिक्षा के महत्व को भुलाया नहीं गया है। इस्लाम धर्म के धर्मग्रन्थ क़ुर्आन में भी जगह–जगह पर शिक्षा की अवधारणा पायी जाती है। क़ुर्आन की शुरूआत ईश्वर की प्रार्थना से होती है। इस प्रार्थना में ईश्वर से सीधा रास्ता दिखाने की मांग है। एक ऐसा रास्ता जिस पर चलते हुए भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति के साथ आध्यात्मिक उपलब्धियों को संचित किया जा सके।

सूरः (अल–फातिहा), की आयत 5 में स्पष्ट कहा गया है–

"हमें सीधा मार्ग दिखा।"

इसका तात्पर्य यह है कि हमें ऐसी शिक्षा दे जिससे हम सद्मार्ग पर चल सकें और हमें अच्छे–बुरे को परखने की तमीज़ हो।

सूरः 96 (अल–अलक) की आयत 1 में आया है–

"पढ़ो अपने रब का नाम लेकर, जिसने पैदा किया।"

इसी सूरः की आयत 5 में लिखा है–

"ज्ञान दिया मनुष्य को उस चीज़ का,जिसे वह नहीं जानता था।" हदीस में शिक्षा के विषय में इस प्रकार कहा गया है– हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है–

रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया,"जिस शख़्स से इल्म की बात पूछी जाये और वह जानता हो और जानबूझ कर इल्म की

बात छुपाये तो क़यामत के दिन आग की लगाम उसको लगायी जायेगी।" एक दूसरी हदीस में कहा गया है– "जो इल्म (ज्ञान) के रास्ते पर चलेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता खोल देगा।"

कुर्आन में शिक्षा का अर्थ संस्कृति से भी लिया गया है। संस्कृति आर्नाल्ड के विचार से "वह उत्तम कार्य एवं चिन्तन है जिसके अनुसार जीवन की गतिविधियों को संचालित किया जाता है। संस्कारों की शुद्धि ही संस्कृति है। इस दृष्टि से शिक्षा बौद्धिक, भावात्मक, नैतिक, धार्मिक व सामाजिक गुणों या संस्कारों को धारण करना है और यही संस्कृति है। संस्कृति वस्तुतः जीवन की सब गतिविधियों का समुच्चय है और शिक्षा जीवन के सभी अनुभवों का कुल योग है।"

इस प्रकार शिक्षा का तात्पर्य कुर्आन के अनुसार अत्यन्त व्यापक समझा जाना चाहिए। कुर्आन एवं हदीस में माना गया है कि शिक्षा ग्रहण करना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है।

शिक्षा के उद्देश्य–

उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। जीवन का प्रत्येक कार्य किसी उद्देश्य पर आधारित होता है। वस्तुतः उद्देश्य रहित कार्य लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग नहीं देता।

मनुष्य जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, उद्देश्य उसकी आदर्श स्थिति का द्योतक होता है। उद्देश्य रहित शिक्षा भी अर्थहीन है। शिक्षा के द्वारा ही समाज अपने सदस्यों को अपनी पूर्व संचित सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित कराता है और उन्हें निरन्तर विकास की प्रेरणा देता है। इस सम्पूर्ण व्यवस्था हेतु शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सम्पूर्ण कुर्आन ज्ञान का प्रतीक है। कुर्आन में शिक्षा के उद्देश्यों की विविधता देखने को मिलती है। कुर्आन के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित कर सकते हैं–

ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य–

मानव जीवन में ज्ञान का अत्यधिक महत्व है। ज्ञान ही वास्तव में मनुष्य के चरित्र और आचार का मौलिक आधार है। मनुष्य की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जिसके अनुसार वह अपने जीवन का निर्माण कर सके।

कुर्आन में ज्ञान प्राप्ति पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। सूरः 9 (अल–तौबा) की आयत 22 में आया है–

" यह तो नहीं हो सकता था कि 'ईमान' वाले सब के सब निकल खड़े होते। तो ऐसा क्यों न हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक समूह निकलता, ताकि वे धर्म में समझ पैदा करते और ताकि वे लोग अपने लोगों का सचेत करते, जबकि वे उनकी ओर पलटते ताकि वे (बुरे कर्मों से) बचते।"

उपर्युक्त पंक्तियों में यह बताया गया कि देहाती आबादी को अज्ञान की दशा में नहीं रहने देना चाहिए बल्कि उनके अज्ञान को दूर

करने और उनमें चेतना जागृत करने का उचित प्रबंध होना चाहिए। इसके लिए यह उचित रहेगा कि देहात के प्रत्येक क्षेत्र से कुछ आदमी मदीना आदि केन्द्रीय जगहों पर जायें और वहाँ धर्म का ज्ञान प्राप्त करके अपनी बस्तियों में जायें और लोगों को उस सच्चे ज्ञान से परिचित करायें जिसके बिना मनुष्य का जीवन उच्च लक्ष्य और उच्च उद्देश्य से सर्वथा वंचित रह जाता है। इस प्रकार कुर्आन में ज्ञान और बुद्धिमता को मौलिक महत्व दिया गया है और ज्ञान प्राप्ति को जीवन का प्रमुख उद्देश्य बताते हुए उस पर अत्यधिक बल दिया गया है।

सामाजिक विकास का उद्देश्य-

कुर्आन से ज्ञात होता है कि सामाजिक विकास भी शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। सामाजिक और सामाजिक व्यवस्था का महत्व इसलिए है कि वह पूर्णता की प्राप्ति में सहायक है। कुर्आन में न तो व्यक्ति को ऐसी स्वतंत्रता दी गयी है जिससे समाज को किसी प्रकार की हानि पहुँचे और न समाज को ऐसे अधिकार प्रदान किये गये हैं जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो। कुर्आन में व्यक्ति और समाज में सन्तुलन स्थापित करते हुए सामाजिक विकास पर बल दिया गया है। कुर्आन में जगह-जगह व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार पर प्रकाश डाला गया है।

सूरः 49 (अल-हुजूरात) की आयत 12 में कहा गया है- "ऐ ईमान वालो! बहुत से गुमान से बचो, निस्सन्देह कोई-कोई गुमान गुनाह होता है और न टोह में पड़ो और न तुम में कोई किसी की पीठ पीछे निन्दा करे, क्या तुम में से कोई इस बात को पसन्द करेगा कि अपने मरे हुए भाई का माँस खाए। यह तो तुम्हें अप्रिय है और अल्लाह से डरते रहो निः सन्देह अल्लाह तौबा कुबूल करने वाला और दयावान है।"

इससे स्पष्ट होता है कि किसी वजह की बदगुमानी से काम लेना उचित नहीं, इससे आपस के सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। समाज में कटुता आ जाती है। लोगों के ऐबों और बुराइयों की टोह नहीं करना चाहिए इससे सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

सूरः 16 (अल-नहल) की आयत 90 में कहा गया है-

"निस्सन्देह अल्लाह न्याय और भलाई करने, नातेदारों को (उनका हक) देने का हुक्म देता है और अश्लील कर्म और बुराई और सरकशी से रोकता है। वह तुम्हें सदोपदेश देता है ताकि तुम ध्यान दो।"

यह कुर्आन का एक विशेष वाक्य है। किसी समाज के सुधार और जीवन में सरलता, माधुर्य और सौन्दर्य लाने का इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है। सूरः 4 (अल-निसा) की आयत 86 में कहा गया है- "सलाम करो" और सलाम का उत्तर अच्छे शब्दों में दो।"

सूरः 24 (नूर) की आयत 27 में उल्लेख मिलता है-

"दूसरों के घर में इजाजत लेकर जाओ और सलाम करो।"

इस प्रकार की शिक्षा

सामाजिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक विकास पर बल देती है। सामाजिक स्तर पर विकास के लिए कुर्आन में यह भी आवश्यक माना गया है कि शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान से दूसरों को भी लाभ पहुँचाये, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो न केवल सामाजिक चेतना आती है बल्कि वह मनुष्य अपने इस सद्कर्म का फल भी अवश्य प्राप्त करेगा।

नैतिक विकास का उद्देश्य-

कुर्आन एवं हदीस के अनुसार मानव जीवन में नैतिकता का समावेश करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। सही धारणा और सत्य विचार मनुष्य को हर प्रकार गुमराही और पथभ्रष्टता से बचाते हैं और उसके चरित्र और स्वभाव को महान शक्ति प्रदान करते हैं। इन विचारों की उत्पत्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपने जीवन में नैतिकता को प्रश्रय दे व उसका पालन करे। कुर्आन एवं हदीस में नैतिक खराबियों से बचने का स्पष्ट संकेत मिलता है।

सूरः 49 (अल–हुजुरात) की आयत 10 व 11 में ईश्वर द्वारा उन बातों को अवैध बताया गया है जिसका दुष्प्रभाव भाईचारे, मानव आदर एवं मानव सम्मान पर पड़ता है। इनमें पहली चीज दूसरों का मज़ाक उड़ाना है, क्योंकि इसमें लोगों को अपमानित करने की भावना छिपी हुई होती है। अतः मनुष्यों को सचेत किया गया हैः–

"ऐ ईमान वालो! कोई (मर्दों का) गिरोह किसी (मर्दों के) गिरोह की हँसी न उड़ाये, अजब नहीं कि वह उनसे भले हों और एक दूसरे को ऐब न लगाओ और न एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारो। ईमान ले आने के बाद बुरा नाम रखना गुनाह है और जो न माने तो वही अन्यायी है।"

इसी तरह लोगों को बुरी संगति से बचने का स्पष्ट संकेत कुर्आन की सूरः 4 (अल–निसा) की आयत 140 में आया हैः–

"और वह किताब में तुम पर यह आदेश उतार चुका है कि जब तुम सुनो कि अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र किया जा रहा है और उनकी हँसी उड़ायी जा रही है, तो जब तक कि वे किसी दूसरी बात में न लग जायें उनके साथ न बैठो अन्यथा तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओगे.....।"

सूरः 5 (अल–माइदा) की आयत 48 में स्पष्ट है कि "भलाई के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो।"

सूरः 55 (अल–रहमान) की आयत 60 में कहा गया है– "भला नेकी का बदला नेकी के सिवाय क्या हो सकता है" आशय है कि भलाई का बदला भलाई ही है।

वस्तुतः कुर्आन ऐसे नीति वचनों से समृद्ध है जिनको अपना कर मानव जीवन नैतिकता से परिपूर्ण हो जाये और एक आदर्श सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके।

भावी जीवन के लिए तैयार करना- कुर्आन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार

करना भी है। कुर्आन दर्शन के अनुसार वर्तमान लोक की आयु सीमित और निश्चित है और अन्ततः आखिरत आयेगी। आखिरत से अभिप्रेत वह जीवन है जो मृत्यु के पश्चात मनुष्यों को प्रदान किया जायेगा। वर्तमान लोक नष्ट हो जायेगा और नये सिरे से एक उच्च श्रेणी के लोक का निर्माण किया जायेगा। मनुष्यों को पुनः जीवित करके उनसे उनके कर्मों का हिसाब लिया जायेगा। उनके कर्म के अनुसार अल्लाह उनके अन्तिम परिणाम के बारे में निर्णय करेगा। आखिरत की तैयारी प्रत्येक मनुष्य को इसी जीवन में करनी चाहिए ताकि नर्क की आग से बच सके और ईश्वर के यहाँ उच्च से उच्च स्थान प्राप्त कर सके।

आखिरत (पुनरुत्थान का दिन) से मानव को सचेत करते हुए सूरः 2 (अल–बकर) की आयत 123 में कहा गया है– "और डरो उस दिन से जब कोई किसी के काम नहीं आयेगा और न किसी की ओर से कोई मुआवजा स्वीकार किया जायेगा और न किसी की ओर से कोई सिफारिश मंजूर की जायेगी और न उन्हें कोई सहायता मिल सकेगी।"

भावी जीवन के लिए तैयारी करने की प्रेरणा देने के लिए सूरः मुहम्मद की आयत 15 में स्वर्ग का सुन्दर वर्णन किया गया है–

"ईश्वरपरायणों से जिस स्वर्ग का अभिवचन दिया गया है उसकी स्थिति यह है कि उसमें पानी की नदियाँ हैं जो (पानी) बिगड़ने वाला नहीं है, जिसके दूध का स्वाद बदला हुआ नहीं होगा. ..... और शहद की नदियाँ हैं जो शहद (स्वच्छ) किया हुआ होगा और उन ईश्वरपरायणों के लिए वहां भाँति–भाँति के फल हैं और उनके प्रभु की ओर क्षमा है.....।"

सूरः बनी इसराईल की आयत 19 में कहा गया है– "जो परलोक की इच्छा रखता है, और उसके लिए प्रयत्न करता है, जैसा कि उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और वह श्रद्धावान हो, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का प्रयत्न सफल होगा।"

इस तरह कुर्आन में आखिरत सम्बन्धी धारणा केवल एक दार्शनिक समस्या नहीं है वरन् इस धारणा का मनुष्य के नैतिक एवं व्यावहारिक जीवन से गहरा सम्पर्क है, क्योंकि आखिरत को मानने के पश्चात मनुष्य अवश्य ही अपने आपको ईश्वर के समक्ष उत्तरदायी समझेगा।

राजनैतिक व राज्य विस्तार का उद्देश्य–

कुर्आन के अनुसार व्यक्ति की शिक्षा द्वारा उसके राज्य की समृद्धि और विस्तार होना चाहिए।

सूरः 57 अल–हदीद की आयत 25 में कहा गया है– "निश्चय ही हमने अपने रसूलों को स्पष्ट प्रमाण के साथ भेजा और उनके साथ किताब और तराजू उतारी ताकि लोग इन्साफ पर कायम रहें.....।"

इससे स्पष्ट है कि राजनैतिक सत्ता को निष्पक्ष बनाने के लिए कुर्आन की शिक्षा उपयोगी हो सकती है ताकि किसी के साथ अन्याय

न हो। इसके साथ कुर्आन में यही भी स्पष्ट है कि उचित शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति को अपने धर्म और राज्य की रक्षा व विस्तार के लिए जिहाद करना चाहिए। इस प्रकार कुर्आन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य राज्य के विकास, उन्नति एवं विस्तार में सहयोग होना चाहिए।

आत्म शुद्धि एवं आत्म विकास का उद्देश्य-

कुर्आन में जहाँ नियम, अनुशासन, कानून आदि की शिक्षा दी गयी है वहीं उसमें ऐसे आन्तिरक ज्ञान और सूक्ष्म वास्तविकताओं की ओर संकेत किये गये हैं, जिन तक अपनी चेतना और बुद्धि स्तर के अनुसार मनुष्य की पहुँच होती है। इसके लिए सोच, विचार, चिन्तन और आत्मा की शुद्धता एवं विकास आवश्यक है। मनुष्य स्वयं में अनेक योग्यताओं को समाहित किये हुए है, वस्तुतः वह एक शक्ति केन्द्र है। वह उस योग्यता एवं शक्तिमयी ऊर्जा का प्रयोग तभी कर सकता है जब मनुष्य का आत्म शुद्ध हो। आत्म बोध होने पर ही वह अपना वाह्य व आन्तरिक विकास कर सकता है। सूरः 91 अश-शम्स की आयत 9-10 में कहा गया है-

"जिसने अपने (जीव या आत्मा) को पाक किया वह मुराद को पहुंचा, और जिसने (ईश्वर परायणता से मुंह मोड़ कर) उसको धूल में मिला दिया वह घाटे में रहा।"

आशय यह है कि जिसने अपनी आत्मा को पवित्र किया वही सफल हुआ और जिसने ईश्वर से विमुख होकर अपने अन्तर्मन को दबाया वह असफल हुआ। इस प्रकार कुर्आन में आत्म विकास और आत्मशुद्धि को मानव जीवन का लक्ष्य माना गया है जिसकी प्राप्ति में शिक्षा सहयोग देती है।

कर्मवादी दृष्टिकोण विकसित करना-

कुर्आन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में कर्मवादी दृष्टिकोण विकसित करना भी माना जा सकता है। समाज की व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी सदस्य अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हों। व्यक्तियों में अपने कर्तव्यों के प्रति चेतना जागृत करने में शिक्षा की भूमिका को कुर्आन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी है। इसी तथ्य को सूरः 17 बनी इसराईल की आयत 15 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-

"जो आदमी सीधी राह चला तो अपने ही लिए सीधी राह चलता) और जो भटका तो उसके भटकने की सजा भी उसी पर होगी, और कोई किसी के (कर्मों के) बोझ को (अपने ऊपर) न लेगा.....।"

आशय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति चैतन्य होना चाहिए, क्योंकि आखिरत में हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं ही वहन करना होगा। अतः सद्कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए।

धर्मपरायण की भावना का विकास करना–

कुर्आन एवं हदीस के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों में धर्म परायणता की भावना का विकास करना है। धार्मिकता क्या है? इस तथ्य को कुर्आन की सूरः 2 अल–बकर की आयत 177 में स्पष्ट किया गया है–

"धार्मिकता यह नहीं कि तुम अपना मुंह पूर्व की ओर करो या पश्चिम की ओर अपितु धार्मिकता यह है कि कोई व्यक्ति श्रद्धा रखे ईश्वर पर, अन्तिम दिन पर, देवदूतों पर और ईश्वरीय ग्रन्थों पर और प्रेषितों पर तथा ईश्वर के प्रेम से धन दे सगे सम्बन्धियों को, अनाथों को, वंचितों को, प्रवासियों को तथा याचकों को और किसी बन्दी की मुक्ति के लिए और नित्य–नियमित प्रार्थना करे, नियत दान दे और तंगी, कठिन समय, संकट एवं आपत्ति में धीरज रखे। ये हैं सत्य–प्रिय लोग और यही है कि ईश्वर परायण।"

धार्मिक होने का आशय यह बिल्कुल नहीं है कि धर्म में असहिष्णुता का रागावेश कर लिया जाये इसलिए सूरः अल–बकर की आयत 256 में आया है– "धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं। सच्चा मार्ग कुमार्ग से अलग और स्पष्ट हो गया है.....।"

धार्मिक होने का आशय यह भी नहीं कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए अन्य धर्मों की आलोचना की जाये। सूरः 6 अल–अनआम की आयत 108 में स्पष्ट उल्लेख है– "और लोग अल्लाह के सिवाय जिनको पुकारते (पूजते) हैं उनको तुम लोग बुरा न कहो कि यह लोग बेसमझी के कारण व्यर्थ अल्लाह को बुरा कह (उसका अनादर कर) बैठे।"

इस प्रकार धर्म परायणता की भावना को विकसित करना, कुर्आन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य माना जा सकता है।

सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य–

प्रत्येक सामाजिक संगठन के सदस्यों के कुछ नियम संस्कार होते हैं, जिनके अनुपालन से उसकी संस्कृति का निर्माण होता है। कुर्आन की आयतों में वैध–अवैध, भक्ष्य–अभक्ष्य, जीवन के नियम, संयम, सद्आचरण के रीति–रिवाज, शादी–विवाह, जायदाद के कानून, शासन के ढंग आदि दिये गये हैं। इस प्रकार जीवन की समस्त गतिविधियां कुर्आन में प्रकट की गई हैं और उनके पालन पर जोर दिया गया है। स्वर्ग–नर्क, कयामत, ज्ञान–विज्ञान, कला –कौशल का विवरण किसी न किसी रूप में कुर्आन में है। इस तरह कुर्आन के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य संस्कृति का विकास भी है।

अन्य उद्देश्य–

उपर्युक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त कुर्आन में शिक्षा द्वारा सद्गुणों के विकास पर बल दिया गया है। कुर्आन की अनेक आयतों में मनुष्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह स्वयं में अहिंसा, न्याय, सहयोगवृत्ति, क्षमा, पवित्रता, त्याग, समर्पण, धैर्य, निष्ठा, विवेक, कृतज्ञता आदि सद्गुणों को विकसित करे। वाक शुद्धि

एवं मधुर बोलने के लिए सूरः 31 लुकमान की आयत 19 में कहा गया है– "और चाल में मध्यम गति अपना और अपनी आवाज़ के मृदु बना, निःसन्देह आवाज़ में सबसे बुरी आवाज़ गधे की है।"

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुर्आन में शिक्षा को एक सोद्देश्य प्रक्रिया मानते हुए शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति से ही मनुष्य को अपने लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति होती है और शिक्षा इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति में साधन रूप में सहयोग देती है।

❖❖❖

जगनायक.....

और हिदायात (आदेश) जारी होने लगीं, और इस तरीके से इस्लामी कार्य व्यवस्था जारी होने का प्रबन्ध हो गया। और दोनों सामाजिक व नैतिक मआमलात के आदेश आने लगे। चूंकि इस्लामी शरीअत पिछले नबियों पर मुकम्मल (पूर्ण) नहीं की गयी थी और आप पर मुकम्मल की जाने वाली थी, लिहाज़ा उसकी तकमील व जामइयत (पूर्ति व व्यापकता) के लिए ज़िन्दगी के नाना प्रकार और विभिन्न अवसरों के लिहाज़ से क्रमशः आदेश आने शुरु हुए। नमाज़ों का तअय्युन (निर्धारण) रोज़ों का निर्धारण, अज़ान का निर्धारण, जुआ व शराब की हुरमत और ज़िन्दगी के मुख़्तलिफ पहलुओं के बारे में चाहे वह व्यक्तिगत क्षेत्र के हों या सामूहिक क्षेत्र के हों उनकी दुरुस्तगी और अच्छाई के लिए सहूलत का लिहाज़ करते हुए हिदायात आने लगीं। इसी के साथ दोस्तों की दोस्ती, हलीफों के साथ समझौते की पाबन्दी और हमलावरों (आक्रमणकारियों) के साथ मुक़ाबले की इजाज़त, इंसानियत की भलाई का लिहाज़, ईमान वालों के आपसी तअल्लुक़ात और जो मसाएल पैदा होते हैं उन सबके अहकाम (आदेश) मौक़े से क्रमशः दिये जाने लगे, जो कुर्आन मजीद की आयात के ज़रिये और और आप पर मुख़्तलिफ तरीके से आने वाली "वही" (ईश्वाणी) के ज़रिए आते थे। और इस तरह ज़िन्दगी के सारे अहकाम, हालात और वाक़िआत का जो तकाज़ा होता उसके लिहाज से नाज़िल होते, इस तरह उनकी अमली शक्ल लोगों के सामने आती रही और यह अहकाम (आदेश) सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं रहे बल्कि उनको अमली शक्ल (व्यवहारिक रूप) में भी बताया जाने लगा। मुसलमान उन पर अमल करते और उनको अपनी याददाश्त (स्मरण शक्ति) में सुरक्षित कर लेते, जिनको बाद में किताबों में महफूज़ (सुरक्षित) किया गया ताकि मुसलमानों की आइन्दा (आने वाली) ज़िन्दगियों में जब और जहां ऐसी सूरत हो तो उसमें उनका अमल हो सके और उनको लागू किया जा सके और इस तरीके से इस्लाम भविष्य की ज़रूरतों के लिए मुकम्मल दीन और शरीअत की हैसियत से महफूज़ (सुरक्षित) हो गया।

❖❖❖

आदर्श शासक

—नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

अरब साम्राज्य के सम्राट हज़रत उस्मान रज़ि0 की दान–शीलता से कौन परिचित नहीं। जगनायक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उपदेशों और संगत ने धन–दौलत को उनकी दृष्टि में तुच्छ बना दिया था। सरकारी ख़ज़ाने को वह जनता का ख़जाना समझते और एक–एक पाई जनता को ही समर्पित करते। अनेकों बार अपनी निजी सम्पत्ति को जनता हेतु समर्पित कर दिया। आइये मैं आपको उनकी दानशीलता से जुड़ा किस्सा सुनाता हूँ।

उनके देश में एक बार अकाल पड़ा। खाद सामग्री की कमी ने इन्सानों और जानवरों को भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया। ऐसे में एक हज़ार ऊँटों पर लदा अनाज मदीने पहुंचा। व्यापारियों ने जब ये खबर सुनी तो हज़रत उस्मान रज़ि0 के पास पहुंच कर मोल–भाव की बात करने लगे। हरेक ने बड़ी से बड़ी धनराशि देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ि0 खामोशी से उनकी पेशकश को सुनते रहे। बड़े आग्रह के बाद हज़रत उस्मान रज़ि0 ने उनसे पूछा कि ये बताइये! आप लोग मुझे कितना मुनाफा देंगे और क्रय मूल्य पर कितनी बढ़ोत्तरी कर सकते हैं? ये सुनकर सभी ने अपनी हैसियत के मुताबिक रेट तय किये, किसी ने कहा, दस से पन्द्रह दूंगा, किसी ने दस के सत्तर देने की बात की, अर्थात जितने मुंह उतनी बात! एक ने तो पचास प्रतिशत मुनाफे की बात रखी लेकिन दूसरी ओर से कोई गर्मी नहीं। अंततः जब व्यापारियों ने अपनी पूर्ण क्षमता का प्रदर्शन कर लिया तो हज़रत उस्मान रज़ि0 ने पूछा, क्या कोई इससे बढ़कर नहीं दे सकता? दूसरी ओर से एक दम सन्नाटा! फिर हज़रत उस्मान रज़ि0 ने कहा, एक है जो मुझे इससे ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। वह मुझसे दस गुने मुनाफे पर सौदा कर रहा है और दस क्रय-मूल्य पर सौ विक्रय मूल्य देने पर राजी है, ऐसे में तुम लोगों से इतने कम पर कैसे सौदा करूं? तुम ज़्यादा से ज़्यादा पचास फीसदी फायदा देने पर राज़ी हो, लेकिन तुम्हारे मुक़ाबले में वह हज़ार प्रतिशत अधिक देने को कहता है और दस ऊँट गल्ले के बदले में सौ ऊँट गल्ले का मूल्य देने को तैयार है। अब तुम ही बताओ! मैं ये सौदा कैसे कर सकता हूँ।

व्यापारियों ने जब ये सुना तो आश्चर्य से पूछने लगे अरे! वह कौन है जो बेतहाशा मुनाफा दे रहा है? हज़रत उस्मान रज़ि0 उनकी हैरानगी को देख कर मुस्कुराये और कहा, अच्छा सुनो! मैं तुम्हें इस बात का गवाह बनाता हूँ और ऐलान करता हूँ कि मैंने ये सारा गल्ला

मदीने के ग़रीबों को दे दिया। व्यापारी अपने ख़लीफा को बड़ी हैरानगी से देखने लगे और ये कहकर लौटने लगे कि अल्लाह मेरे ख़लीफा की दानशीलता में और बरकत दे।

आज के परिवेश में उपर्युक्त घटना कोरी कल्पना सी लगती है न! हालांकि होना यही चाहिए शासक–प्रशासक भले भूखा सो जाए लेकिन प्रजा भूखी ना सोए। खुद फटे कपड़ों में रहे लेकिन अवाम को तन ढ़कने का कपड़ा ज़रूर उपलब्ध कराये। अगर वह ऐसा नहीं करता तो अल्लाह के यहां उसकी पकड़ तय है।

❖❖❖

ईद तो उन्हीं की थी .....

तो छः साल का महमूद और आठ साल का हामिद अलग़–अलग भाग निकले तो पता नहीं कितने दिनों में और किस तरह दोनो अलग–अलग लखनऊ पहुंचे। महमूद को एक होटल वाले ने प्यालियां धुलने के लिए रख लिया और हामिद को एक बरतन बेचने वाले ने अपनी दुकान पर रख लिया। यह दोनों तन्हाई में रोते और वक़्त काट रहे थे, और एक दूसरे को न जानते थे कि कौन कहाँ है। सन् 1960 ई0 में ईद के दिन लोग ईदगाह जा रहे थे, अमीना बाद डाकख़ाने के करीब भीड़ के सबब इन दोनों में टक्कर हो गई। महमूद गिर गया मगर संभल कर उठा और हामिद का गिरेबान पकड़ लिया और बोला "अंधे हो" लोग कहने लगे, अरे मुआफ करो ईद का दिन है। हामिद ने महमूद को पहचान लिया बोला भय्या महमूद.....। महमूद ने भी हामिद को पहचान लिया, बोला "भय्या हामिद" दोनों एक दूसरे से लिपट गये और फूट–फूट कर रोने लगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि माजरा क्या है? बाद में किसी तरह बता सके, दोनों ईदगाह गये, साथ में नमाज़ पढ़ी "ईद तो उन्हीं की थी"।

कहते हैं कि यह दोनों मुरादाबाद के एक बरतन के ताजिर के बेटे थे। माँ का इन्तिक़ाल आज़ादी से पहले ही चेचक की बीमारी में हो चुका था। बाप ने दोनों बेटों को बड़े लाड़ व प्यार से पाला था, तक़दीर को कौन टाल सकता था। तक़्सीम के वक़्त बाप तिजारती माल औने–पौने बेच कर बेटों के साथ पाकिस्तान जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गया, लेकिन मकान न बिका था, मगर बाप की क़िस्मत में शहादत और उन बेटों की क़िस्मत में यह अनुपम (अदीमुल मिसाल) ईद की खुशी लिखी थी। दोनों भाइयों ने जो कुछ देखा था मारे डर के कभी मुरादाबाद का नाम नहीं लिया लेकिन आज जब लोगों को मालूम हुआ तो लोगों ने कहा मुरादाबाद चलो, हम भी चलते हैं और यह लोग मुरादाबाद पहुंचे, बाज़ अज़ीजों को इन्होंने पहचाना और उन्होंने इनको पहचाना। टूटा–फूटा मकान पड़ा था किसी ने क़ब्ज़ा न किया था। दोनों भाइयों ने अपने मकान में रहना पसन्द किया, आगे अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ। ❑❑

ईदैन

–मौलाना ख़ालिद सैफुल्लाह रहमानी –प्रस्तुतिः फ़ौज़िया सिद्दीक़ा फ़ाज़िला

इस्लाम से पहले लोग दो दिन त्यौहार मनाया करते थे, "नैरूज़, और महरजान"। और यह दोनों त्यौहार ग़ालिबन मौसमे बहार की आमदो रफ़्त से मुतअल्लिक़ थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, तो लोगों ने अ़र्ज़ किया कि हम लोग दो दिन खेल–कूद करते और खुशियाँ मनाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा बेहतर दो दिन मुक़र्रर कर दिये हैं, एक ईदुल अज़हा और दूसरे ईदुल फ़ित्र का दिन"। ज़ाहिर है मुसलमानों की मुसर्रत और शादमानी के इज़हार के तरीके ग़ैर मुस्लिमों से मुख़्तलिफ होंगे, इसीलिए इन दोनों दिनों में दोगाना नमाज़े ईद रखी गई है। जिसमें इस हक़ीकत का इज़हार है के मोमिन की खुशी की इन्तिहा यही है कि उसकी पेशानी अपने ख़ालिक़ व मालिक के सामने सज्दा रेज़ हो जाए।

यौमे ईद की सुन्नतें–

ईद में मसनून है कि मिस्वाक और गुस्ल करे, और खुश्बू लगाने का एहतिमाम करे, चुनांचि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल इन दिनों में गुस्ल करने का था, मिस्वाक तो आम नमाज़ों से पहले भी मसनून है तो ज़ाहिर है कि ईद में बदर्ज–ए–औला इस का एहतिमाम मुनासिब होगा। नीज़ इज्तिमाअ़ की रिआयत से जुमा में खुश्बू का एहतिमाम पसन्द किया गया है तो ईद का इजमाअ़ इस से बढ़ कर है।

ईद के मलबूसात–

ईद के मौक़े से अपनी–अपनी हैसियत के मुताबिक़ जो उम्दा कपड़ा मयस्सर हो वह पहनना चाहिए। चुनांचि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईदैन में एक सुर्ख़ डोरे की चादर इस्तेअ़माल फ़रमाया करते थे। हज़रत उमर रज़ि0 ने बाज़ार में एक रेशमी जुब्बा फ़रोख़्त होते हुए देखा, ग़ालिबन वह उस वक़्त रेशम की हुरमत से वाकिफ़ नहीं थे, चुनांचि एक रेशमी जुब्बा लेकर हुज़र सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया कि आप इसे खरीद लें, ताकि ईद और वुफ़ूद की आमद के मौक़े पर ज़ेब तन फ़रमाया करें, लेकिन रेशमी होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मअ़ज़िरत कर दी और फरमाया "यह उन लोगों का लिबास है जिन का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं"। इसी से इमाम बुख़ारी रह0 ने ईदैन में कपड़ों के खुसूसी एहतिमाम पर इस्तिदाल किया है।

ईद के कपड़ों का सफ़ेद

होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऊपर ज़िक्र आ चुका है कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रंगीन कपड़े भी ईद में इस्तेअ़माल फ़रमाए हैं।

ईदगाह जाने से पहले खाना-

ईदुल फित्र के दिन ईदगाह के लिए निकलने से पहले कुछ खाना मसनून है, बेहतर है कि यह खाई जाने वाली चीज़ मीठी और ताक़ अदद में हो, और खजूर हो तो ज़्यादा बेहतर है। चुनांचि हज़रत अनस रज़ि0 से मरवी है कि ईदुल फित्र के मौक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईदगाह जाने से पहले चन्द खजूरें ताक़ अदद में खा कर तशरीफ़ ले जाते थे। हमारे यहां सिवय्यों का रिवाज़ है जिसमें कोई हरज़ नहीं। ईदुल अज़हा के मौक़े से मुस्तहब है कि जो लोग कुर्बानी करते हों, कुर्बानी ही से अपने खाने की इब्तिदा करें। चुनांचि हज़रत बुरेदा रज़ि0 से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईदुल फित्र के दिन बगैर खाए नहीं निकलते थे, और ईदुल अज़हा के दिन बग़ैर नमाज़ पढ़े खाते नहीं थे।

ईदगाह की आमद व रफ़्त-

ईद में बेहतर है कि ईदगाह पैदल जाया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पैदल ही आने-जाने का मामूल था। यह भी मुस्तहब है कि एक रास्ते से जाये ओर दूसरे रास्ते से वापस हो। चुनांचि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूले मुबारक इसी तरह का था। (ईदगाह दूर हो तो सवारी से जाना जाइज़ है)।

तरीक़-ए-नमाज़-

नमाज़ ईदैन के बारे में इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि ईद की नमाज़ दो रकअ़त है, यह बात भी मुत्तफ़क़ अलैह है कि ईदैन में जहरन क़िरात की जायेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ईदैन में पहली रकअ़त में "सूरह गाशिया" का पढ़ना मंक़ूल है। बाज़ रिवायत में "सूरह क़ाफ़" और "इक़्तरबतिस साअ़ह" का ज़िक्र है। इसलिए इन सूरतों का पढ़ना बेहतर है। अल्बत्ता इन को वाजिब का दर्जा नहीं देना चाहिए कि इसके लाज़िम होने का वहम होने लगे।

ज़ायद तकबीरात के अहकाम-

ईदैन की नमाज़ में कुछ तकबीरात ज़ायद कही जाती हैं, इमाम अबू हनीफ़ा के यहां यह तकबीरात ज़ायद छः हैं, पहली रकअ़त में तकबीरे तहरीमा और सना के बाद और किरात से पहले तीन तकबीरात, और दूसरी रकअत में किरात मुकम्मल होने के बाद रुकुअ़ में जाने से पहले तीन तकबीरात। इन तकबीरात को कहते हुए इमाम व मुक़्तदी सब हाथ उठाएंगे। इन तकबीरात के दरमियान कोई ज़िक्र नहीं है, अलबत्ता हर दो तकबीर के दरमियान तीन तसबीह के बक़द्र सुकूत इख़्तियार किया जाएगा और हाथ छोड़ी हुई हालत में होगा।

इन ज़ायद तकबीरात की हैसियत वाजिब की है, इसलिए इन की बड़ी अहमियत है, चुनांचि अगर कोई शख़्स ताख़ीर से नमाज़ में शरीक हुआ और तकबीरे जायद नहीं पाई, तो रुकुअ़ की हालत में इन तकबीरात को कहले, इसी तरह अगर इमाम तकबीरात भूल जाए तो रुकूअ़ में इन

तकबीरात को कह ले। अगर किसी शख़्स की इमाम के साथ मुकम्मल एक रकअ़त छूट जाए तो अब वह इसे दूसरी रुकूअत अदा करते हुए किरात के बाद ही कहे यह बेहतर है, लेकिन किरात से पहले कह लेना भी दुरुस्त है।

तक्बीर की तअ़दाद में फ़ुक़हा का एख़्तिलाफ़–

मालिकिया और हनाबिला के नज़दीक तकबीराते ज़ायद ग्यारह हैं, पहली रक़अत में छः और दूसरी रकअ़त में पाँच, और शाफई के नज़दीक बारह हैं, पहली रकअ़त में सात और दूसरी रकअ़त में पाँच।

ईदगाह जाते हुए तक्बीर-

ईदुल अज़हा में मसनून है कि ईदगाह जाते हुए ज़ोर से तकबीर कहता हुआ जाए, नमाज़ ईदुल फ़ित्र के बारे में बाज़ फ़ुकहा ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफ़ा रह0 तकबीर के काइल नहीं, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रह0 तकबीर कहने के क़ाइल हैं लेकिन अल्लामा इब्ने हम्माम रह0 की तहक़ीक़ है कि इख़्तिलाफ सिर्फ़ इस क़द्र है कि तकबीर ज़ोर से की जाए या आहिस्ता? इमाम अबू हनीफा के यहां आहिस्ता और शाफई के यहां बाआवाज़ बुलंद, और इसी तरफ़ शामी रह0 का भी रुझान है, हनाबिला और दूसरे फुकहा भी शाफई के हम ख़्याल हैं।

तकबीर में सिर्फ़ अल्लाहु अकबर कहना भी काफ़ी है, लेकिन बेहतर है कि मुकम्मल तकबीरे तशरीक़ कहे।

❑❑

यह भी हक़ तल्फ़ी है.....

गया है। बल्कि आज कल इन हुकूक़ का तल्फ़ करना बहादुरी की अ़लामत बन गई है। इन हुकूक़ का तल्फ़ करने वाले अपने आपको होशियार और चालाक समझते हैं। जबकि इन हुकूक़ की तल्फ़ी और उन पर क़ब्ज़ा दीगर हुकूकुल इबाद की तरह क़ाबिले मुवाख़्ज़ह है। बल्कि कैफ़ियत के लिहाज़ से शख़्सी हुकूक़ के मुक़ाबले में अवामी हुकूक़ ज़्यादा सख़्त होते हैं, क्योंकि हूकूकुल इबाद के गुनाह सिर्फ़ तौबा और इस्तिगफ़ार से माफ़ नहीं होते, बल्कि उसकी माफी के लिए उस शख़्स का माफ़ करना ज़रूरी है, जिसका हक़ पामाल किया गया। तो शख़्सी हुकूक़ में माफी मांगी जा सकती है या हक़ अदा किया जा सकता है, मगर उमूमी हुकूक़ पामाल करने की सूरत में अगर कभी नदामत और तौबा की तौफ़ीक़ भी हो जाये तो किस–किस से माफ़ी मांगी जा सकेगी? ज़ाहिर है कि जिन अवाम के हुकूक़ तल्फ़ किये गए वह न मुतअय्यन हैं और न उनके बारे में तफ़सीली इल्म है, इसलिए हर एक के पास जाकर माफी मांगना और गसब किये गये हक़ का अदा करना भी नामुमकिन है।

इसलिए वह लोग जो आख़िरत और क़ियामत के दिन हिसाबो किताब पर यक़ीन रखते हैं, उन्हें आज ही हक़ तल्फ़ी से बाज़ रहने का अहद करना चाहिए। रोज़े महशर की हौलनाकियों से हिफ़ाज़त के लिए अगर ज़मीर को बेदार न किया गया तो उस दिन बड़ा खसारा होगा जिसका इस दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है।

(बांगे हिरा, मई 2012 से ग्रहित)

❑❑

इस्लाम विरोधी प्रश्नों के उत्तर

—नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

व्यभिचार (ज़िना) एक सामाजिक अभिशाप

प्रश्नः इस्लाम व्यभिचार पर इतना कठोर क्यों यदि दोनों राज़ी हों?

उत्तरः यहाँ पर इस्लाम के कठोर होने अथवा कठोर दण्ड देने के बारे में मात्र इतना ही कहना है कि इस्लाम को किसी को अकारण दण्ड देने में न कोई मज़ा आता है और न ही बेवजह कोड़ा बरसाने तथा मारने–पीटने से संतुष्टि मिलती है। इन दण्डों का उद्देश्य मात्र यही होता है कि लोग उसके भय से व्यभिचार आदि बुराइयों से बच जाएं।

पवित्र कुर्आन में है-

"और पास न जाओ बदकारी (व्यभिचार) के, वह है बेहयाई और बुरी राह।"

(सूरः बनी इस्राईल,32)

ज़िना (व्यभिचार) के हराम होने के दो कारण बताए गए हैं। एक बेहयाई (निर्लज्जता) कि जिस व्यक्ति में लज्जा न हो वह मानवता से वंचित हो जाता है, फिर वह अच्छे–बुरे के मध्य अंतर करने योग्य नहीं रहता। एक पवित्र हदीस का आशय है कि जब तेरी हया (लज्जा) ही जाती रही और किसी बुराई से रूकावट का कोई पर्दा न रहा तो जो चाहे कर।

हज़रत मुहम्मद सल्ल–ल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कथन बुखारी जैसी प्रमाणिक पुस्तक में वर्णित है कि हया ईमान के विभागों में एक विभाग है।

दूसरा कारण यह बताया गया है कि ये एक सामाजिक विकार है जो व्यभिचार के कारण इतना फैलता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती और इस कुकृत्य से कभी–कभार अनेक समुदाय अथवा कौम पूरी तरह बरबाद हो जाती है। संसार में चोरी–डकैती और हत्या आदि की जो अधिकता है यदि उनके कारणों का पता लगाया जाए तो आधे से अधिक घटनाओं का कारण पुरूष–महिला का अनैतिक सम्बन्ध है।

इस्लाम ने चौदह सदी पूर्व एड्स (AIDS) जैसी बीमारियों की ओर कहीं न कहीं चेताया था और व्यभिचार पर कठोर दण्ड का प्रावधान रखा था तथा क्रियात्मक रूप से अमल में भी उसे लाया, लेकिन अब अय्याशों द्वारा इस्लामी कानून की प्रासंगिकता को नकारा जाने लगा तो फिर अल्लाह ने एड्स के रूप में ऐसी बीमारी फैलाई जो अभी तक लाइलाज है।

सऊदी अरब जैसे देशों में एक सीमा तक इस्लामी क़ानून लागू है, इसलिए वहाँ अन्य देशों के मुक़ाबले में एडस् रोगी अल्प मात्रा में पाये जाते हैं। यदि वर्ल्ड में व्यभिचार से सम्बन्धित इस्लामी क़ानून लागू हो जाए तो निश्चित रूप से एड्स की

बीमारी पर रोक लग सकती है।

भारत जो संस्कृति और नैतिकता का रक्षक माना जाता रहा है उसमें भी व्यभिचार की बीमारी ज़ोर पकड़ रही है, समलैंगिकता (HOMOSEXUALITY) और लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दिलाने हेतु अभियान चल रहे हैं, और यहाँ तक कि शादी शुदा जोड़ों में भी व्यभिचार आम होने लगा है। पवित्र हदीस में ऐसे लोगों पर लानत भेजी गई है:-

"हज़रत मुहम्मद सल्ल-ल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सातों ज़मीन और सातों आसमान विवाहित व्यभिचारी पर लानत करते हैं, और नर्क में ऐसे लोगों की शर्मगाह से संघाड़ फैलेगी कि नर्क वासी परेशान होंगे और आग के अज़ाब के साथ उनकी जहन्नम में भी रूस्वाई होती रहेगी। (मज़हरी)

आपत्ति क्यों?

कुछ लोग आपत्ति जताते हैं कि जब महिला-पुरूष रज़ामन्दी से सेक्स सम्बन्ध स्थापित करते हैं तो दूसरों को क्या आपत्ति है? पवित्र हदीस में उसका उत्तर दिया गया है:-

"एक व्यक्ति ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निवेदन किया कि मुझे व्यभिचार की अनुमति दे दीजिए, उपस्थित जनों ने उसे डांटा कि पैग़म्बरे खुदा के सामने ऐसी गुस्ताख़ी? ख़बरदार! चुप रहो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि मेरे करीब आओ, वह करीब आकर बैठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तू ये हरकत अपनी माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला में से किसी से करना पसंद करता है? उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! खुदा मुझको आप पर निछावर करे, कदापि नहीं, इनमें से किसी के साथ व्यभिचार में लिप्त नहीं होना चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दूसरे लोग भी अपनी माँओं, बेटियों, बहनों, फूफियों और खालाओं के लिये ये कुकृत्य पसंद नहीं करते।"

(मुस्नद अहमद)

अतः उपर्युक्त हदीस उन लोगों के मुँह पर तमाँचा है जो व्यभिचार को वैध ठहराने के लिये कुतर्क गढ़ते हैं।

व्यभिचारी से बीमारी:-

एड्स होने के कई कारणों में से सबसे प्रमुख कारण व्यभिचार है, इसके अतिरिक्त अनेक बीमारियाँ हैं जो व्यभिचार के कारण लोगों में प्रवेश कर रही हैं।

इन्साइकलोपीडिया बर्टानिका से ज्ञात होता है कि अमेरिका के सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक वर्ष आतशक (उपदंश) के लगभग दो लाख और सूज़ाक के लगभग पौने दो लाख रोगियों का उपचार किया जाता है। वहां के 65 प्रतिशत से अधिक अस्पताल केवल इन्हीं रोगों के उपचार हेतु हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आतशक के लगभग पैंसठ प्रतिशत और सूज़ाक (पूयमेह) के लगभग नब्बे प्रतिशत मरीज़ आते हैं।

इसी प्रकार लगभग पैंतीस से पैंतालीस हज़ार के मध्य बच्चों की मौतें केवल आनुवंशिक (मूरिसी) आतशक

(उपदंश) के कारण होती हैं। क्षयरोग के अतिरिक्त समस्त रोगों से जितनी मौतें होती हैं उनमें सबसे अधिक संख्या उन मौतों की है जो केवल आतशक (उपदंश) के कारण होती हैं। सूज़ाक (पूयमेह) विशेषज्ञों का आंकड़ा है कि इस रोग से सबसे अधिक ग्रसित युवा हैं, जिनकी संख्या अनुमानतः पैंसठ प्रतिशत है, जिनमें विवाहित भी हैं और अविवाहित भी।

स्त्री रोगों के विशेषज्ञों का कहना है कि विवाहित महिलाओं के गुप्तांगों पर जितने भी ऑप्रेशन किये गये, उनमें से लगभग 78 प्रतिशत ऐसे हैं जिनमें सूज़ाक का असर पाया जाता है।

ऊपर जितनी भी जानकारी दी गई है वह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से सम्बन्धित है। यदि व्यभिचार के कारण होने वाली बीमारियों को यूरोप, अमेरिका के साथ अन्य देशों में तलाशा जाए तो उपर्युक्त में दर्ज आंकड़ों का प्रतिशत बढ़ जाए।

कुल का सार यही है कि व्यभिचार एक ऐसा अभिशाप है जो सामाजिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर देता है, और इस्लाम में इसकी जो मनाही है उसमें प्रमुख कारण यही है। ❑❑

कुर्आन की शिक्षा.....

अलावा और दिनों में रोज़े रख ले, चाहे एक साथ रखे या अलग-अलग।

5. मतलब ये है कि जो लोग रोज़ा रखने की क्षमता रखते हैं मगर शुरू में चूंकि रोज़ा की बिल्कुल आदत न थी इसलिये एक महीने के पूरे रोज़े रखना उनपर बड़ा भारी था तो उनके लिये ये सहूलत दी गई कि यदि तुमको कोई परेशानी अर्थात मर्ज़ या सफर में न हो तो अगर सिर्फ आदत न होने के कारण रोज़ा तुमको भारी लगे तो अब तुम्हारे पास आप्शन है कि चाहो तो रोज़ा रखो चाहो तो बदला दो कि एक रोज़े के बदले एक ग़रीब को दो वक़्त का पेट भर खाना खिलाओ, क्योंकि जब उसने एक दिन का खाना दूसरे को दे दिया तो मानो अपने मन को एक दिन के खाने से रोक लिया, और ये बात रोज़े के समान हो गई। फिर जब वह लोग रोज़ा के आदी हो गये तो ये सुविधा शेष न रही। इसका दूसरा तात्पर्य उलमा ने सदक़-ए-फित्र भी लिया है।

6. अर्थात एक दिन के खाने से अधिक एक निर्धन को दे या कई ग़रीबों का पेट भर दे।

7. अर्थात तुमको रोज़े की श्रेष्ठता,युक्ति और लाभ मालूम हो तो जान लो रोज़ा उल्लिखित फिदया से अच्छा है और रोज़ा रखने में कोताही न करो। ❑❑

प्यारे नबी की प्यारी बातें.....

से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि रमज़ान की पहली रात को जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, और दोज़ख के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शैतान बाँध दिये जाते हैं।

(बुखारी-मुस्लिम)

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—मुफ्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः एक शख्स ने मन्नत मानी कि अगर मैं बीमारी से अच्छा हो गया तो एक बकरा मस्जिद में दूंगा, अब वह शख़्स अच्छा हो गया है और चाहता है कि बकरा ज़ब्ह करके मस्जिद में नमाज़ियों को खिला दे क्या ऐसा कर सकता है जब कि नमाज़ियों में अमीर व गरीब सब हैं?

उत्तरः जब उसने मस्जिद में बकरा देने की मन्नत मानी है तो ऐसी सूरत में बकरा बेचकर उसकी कीमत मस्जिद की ज़रूरियात में लगा देना होगी नमाज़ियों को खिला देने से मन्नत अदा न होगी।

(रद्दुलमुहतार 523/5)

प्रश्नः एक शख़्स का बच्चा बीमार था, उसने मन्नत मानी कि अगर मेरा बच्चा अच्छा हो गया तो मेरे पास जो बकरी है उसको मदरसे में दे दूंगा। अब बच्चा अच्छा हो गया है, वह चाहता है यह बकरी रख ले और उसकी जगह दूसरी बकरी खरीद कर मदरसे में दे दे, तो क्या ऐसा करना दुरुस्त होगा और मन्नत अदा हो जाएगी?

उत्तरः उस शख़्स ने जिस बकरी की मन्नत मानी है वही बकरी मदरसे में सदक़ा करना ज़रूरी है।

प्रश्नः एक शख़्स ने मन्नत मानी की जब उसकी बकरी का बच्चा पैदा होगा तो पहला बच्चा मैं मस्जिद में दूंगा। अब एक बच्चा पैदा हुआ है उसे क्या करे? क्या उसे बेच कर उसका दाम खैरात कर सकता है?

उत्तरः जब मस्जिद में देने की मन्नत मानी थी तो उस बच्चे को बेच कर उसकी कीमत मस्जिद में देना ज़रूरी है।

प्रश्नः एक शख़्स की गर्म कपड़े की दुकान है, उन्होंने यह इरादा किया था कि उन कपड़ों में से जो टुकड़े बचेंगे और उससे जो रकम आएगी वह मैं गरीबों में तक्सीम करूंगा, कुछ लोग मस्जिद की तामीर के चन्दे के लिए आये क्या उन पैसों को वह तामीर मस्जिद के लिए दे सकता है?

उत्तरः जब उन्होंने कहा कि बचे हुए कपड़ों की आमदनी को गरीबों में खर्च करुंगा तो अब यह रकमें गरीबों ही पर खर्च होंगी, तामीर मस्जिद पर नहीं, क्योंकि मस्जिद से नफा उठाने वाले अमीर ग़रीब सब होते हैं।

(रद्दुलमुहतार 334/2)

प्रश्नः जो बकरा वगैरा गैरुल्लाह के नाम पर छोड़े गये हों उनको शरई तरीके पर जब्ह करके खाना जाइज़ है या नहीं?

उत्तरः अगर बकरे का मालिक अपनी नीयत से तौबा करके खुद जब्ह करदे या किसी के हाथ बेच दे तो उसका खाना दुरुस्त होगा, लेकिन अगर बकरे के मालिक ने गैरुल्लाह के नाम पर छोड़े जाने की नीयत से तौबा नहीं की बल्कि उसको छोड़े रखा और किसी ने उसको जब्ह कर दिया तो

यह जाइज़ नही है, उसका गोश्त खाना जाइज़ नहीं है, चाहे बिस्मिल्लाह पढ़ कर शरई तरीक़े पर जब्ह किया गया हो।

(फतावा हिन्दिया 35/1)

प्रश्नः एक शख़्स ने नमाज़ शुरु की, उसके बाद याद आया कि ज़बान से बजाए अस्र के फर्ज़ के, जुहर का फर्ज़ निकल गया ऐसी सूरत में नमाज़ अदा हुई या नहीं?

उत्तरः अगर दिल में अस्र की नीयत हो मगर ज़बान से जुहर का लफ़्ज़ निकल गया तो उससे नमाज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा बल्कि अस्र की नमाज़ अदा हो गई। फुकहा ने सराहत की है इस नियत का एतिबार दिल से है न कि महज ज़बान से निकले हुए लफ्ज़ का।

प्रश्नः एक शख़्स ने नमाज़ शुरु की, उसके बाद याद आया कि बजाए अस्र के फर्ज़ के, जुहर के फर्ज़ की नीयत की है तो अब क्या करे? नमाज़ छोड़ कर फिर तकबीरे तहरीमा कहे या नमाज़ ही में नीयत बदल दे,. अगर नमाज़ ही में नीयत बदल सकता है तो कब बदलना मुनासिब है?

उत्तरः अगर किसी ने बिला नियत ही नमाज़ शुरु कर दी फिर याद आया कि नीयत नहीं की है या गलत नीयत की, मसलन अस्र की जगह जुहर की नीयत करली तो उस नीयत का वक्त जाता रहा, नमाज़ शुरु करने के बाद नीयत का एतिबार नहीं बल्कि फिर से नीयत करने के बाद तकबीरे तहरीमा कहे। फुकहा ने सराहत की है कि नमाज़ शुरु कर देने के बाद अगर किसी ने नीयत की तो उसका एतिबार नहीं।

(रद्दुलमुहतार 387/1)

प्रश्नः एक शख़्स ने नमाज़ शुरु की, नमाज़ के दौरान उनकी निगाह मस्जिद की किब्ला वाली दीवार पर पड़ी, दीवार पर कुछ कुर्आनी आयतें थी और कुछ हदीसें थीं उन्होंने लिखी हुई इबारतों को दिल में पढ़ ली, और समझ लिया तो क्या उससे नमाज़ फासिद हो जाएगी?

उत्तरः नमाज़ की हालत में दीवार पर लिखी हुई चीजों को कस्दन दिल से पढ़ना और समझना मकरूह है, अलबत्ता नमाज़ फासिद न होगी, और अगर पढ़ने में ज़बान को हरकत दी तो यह तलफ्फुज़ हुआ और उससे नमाज़ फासिद हो जाएगी। और अगर गैर इरादा इत्तिफाकन लिखी हुई चीजों पर नज़र पड़ गई तो यह मुआफ है, मकरूह नहीं है मगर नज़र जमाए न रखे।

(दुर्रुलमुख्तार अल रद्दुल-मुहतार 5593/1)

प्रश्नः अगर कोई नमाज़ी दौराने नमाज़ अपने जिस्म पर बिला ज़रूरत हाथ फेरता रहे और कपड़ों को दुरुस्त करता रहे तो यह कैसा है?

उत्तरः नमाज़ निहायत खुशू व खुजू और तवज्जुह के साथ पढ़ना चाहिए, बे ज़रूरत बदन खुजलाना, और बदन पर हाथ फेरते रहना या कपड़ों से खेलना मकरूहे तहरीमी है। हदीस में इससे रोका गया है, अल्लह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया है कि अल्लाह तआला तीन चीजों को पसन्द

नहीं फरमाते हैं– 1. नमाज़ में खेलना 2. रोज़े में गाली गुलूज़ करना 3. कब्रिस्तान में हंसना। इस रिवायत की वजह से फुकहा ने सराहत की है कि यह चीज़ें मकरूहे तहरीमी हैं।

(दुर्रुलमुख्तार अल रद्दुल–मुहतार 999/1)

प्रश्नः दौराने नमाज़ सर खुला रखना कैसा है?

उत्तरः सर छुपाना, टोपी और अमामा पहनना इस्लामी लिबास में दाखिल हैं, इसकी खास फज़ीलत व अहमियत आई है। खुले सर लोगों के सामने आना–जाना बे अदबी है, नमाज़ एक अहम इबादत है, रब्बे कायनात के सामने सरापा बाअदब खड़ा होना है, इसलिए बाअदब तरीके इख़्तियार करना पसन्दीदा और मक्सूद है। चुनांचे फुकहा ने सराहत की है कि सुस्ती की वजह से खुले सर नमाज़ पढ़ना मकरूह है (शामी)। और उलमा से मनकूल है कि गर्मी के सबब भी खुले सर नमाज़ पढ़ना मकरूह है।

(रद्दुलमुहतार 60/1)

प्रश्नः नमाज़ी के आगे से गुज़रना कैसा है? क्या उससे नमाज़ फासिद हो जाती है?

उत्तरः नमाज़ी के आगे से गुज़रने की वजह से नमाज़ तो फासिद नहीं होगी, लेकिन उसे नमाज़ी की तवज्जुह मुतअस्सिर हो जाती है, जिसकी वजह से गुज़रने वाला गुनहगार होगा, और ऐसे शख़्स को हदीस में शैतान से ताबीर किया गया है। हज़रत अबू सईद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख़्स किसी ऐसी चीज़ के सामने नमाज़ पढ़ रहा हो जो उसके लिए सुतरे का काम कर रही है, अब कोई शख़्स सुतरे से पहले उसके सामने से गुजरना चाहे तो यह नमाज़ी उसको हटा दे या एक हाथ से ढकेल दे अगर न माने तो उसको मार भी सकता है क्योंकि वह शैतान है।

(मिश्कात)

बाज़ हदीस में नमाज़ी के आगे से गुज़रने पर सख्त वईद सुनाई गई है, इसलिए इस गुनाह और शैतान के पसन्दीदा अमल से बचना चाहिए।

प्रश्नः फ़र्ज़ नमाज़ में मुक्तदी इमाम की करात के वक्त या खुद इमाम करात के वक्त आँख बन्द कर ले तो कैसा है?

उत्तरः बिला किसी उज्र व मसलहत के नमाज़ में आँख बन्द रखना मकरूह है। अलबत्ता अगर सामने कोई चीज़ हो जो खुशुअ व खुजुअ की हालत पर असर अंदाज़ हो या आँख बन्द करने से खुशूअ व खुजूअ पैदा हो तो फिर मकरूह नहीं है।

प्रश्नः एक शख़्स ने किसी बात पर गुस्से मे कहा कि मेरे लिए बकरी पालना और गोश्त खाना हराम है, क्या वह शख़्स अब बकरी पाल सकता है और बकरी का गोश्त खा सकता है या नहीं?

उत्तरः अगर कोई शख़्स कोई हलाल चीज़ अपने ऊपर हराम करता है तो उसके हराम करने से वह चीज़ हराम नहीं होगी बल्कि उसका इस्तेमाल उसके लिए जाइज़ रहेगा।

(रद्दुलमुहतार 63/3)

❑❑

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

—डॉ0 मुईद अशरफ़ नदवी

दफ्तर में जींस-टी शर्ट पहनने पर रोक— हरियाणा सरकार ने एक फरमान जारी करते हुए आफिस में कर्मचारियों को जींस—टी शर्ट नहीं पहनने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के अधीन महिला एवं बाल विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सभ्य कपड़े पहन कर दफ्तर आने के आदेश दिये गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर किसी ने इस आदेश को नहीं माना तो उस पर कारवाई की जाएगी।

यह आदेश विभाग के निदेशक ने फील्ड में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को जारी किया है। विभाग राज्य में एकीकृत बाल विकास योजना और एकीकृत बाल संरक्षण योजना चलाता है। महिला एवं बाल विभाग के निदेशक के इस आदेश में जींस और टी शर्ट को अश्लील बताया गया है।

सहयोग नहीं तो सहायता नहीं: अमेरिका- अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति ने वर्ष 2013 के लिए अपने बजट प्रस्ताव में पाकिस्तान को आर्थिक और सुरक्षा सहायता देने पर रोक लगा दी है। यह सहायता तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करता। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क, तालिबान, अलकायदा, लश्कर —ए—तैयबा और जैश—ए—मुहम्मद जैसे समूहों के खिलाफ कार्यवाई करनी होगी।

हाउस एप्रोप्रिएशंस कमेटी ने वर्ष 2013 के लिए स्टेट एंड फारेन ऑप्रेशंस एप्रोप्रिएशंस विधेयक जारी कर दिया है। इसमें तब तक पाकिस्तान सरकार को आर्थिक सहायता देने पर रोक लगा दी गई है, जब तक वह आतंकवाद से निपटने के प्रयासों तथा अन्य मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहयोग नहीं करता। विधेयक में नियमित विवेकाधीन कोष से कुल 40.1 अरब डॉलर का प्रावधान है। यह दो अरब डॉलर या पाँच फीसदी कम है।

भारत ने कहा हिन्दुओं की रक्षा करे पाकिस्तान— पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों की जबरन शादी मुस्लिम लड़कों के साथ कराए जाने के मामले में केन्द्र सरकार ने चिंता जताई है। विदेश मंत्री ने लोकसभा में कहा कि इस मुद्दे को पाकिस्तान के सामने पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। पाकिस्तान में खासतौर पर सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न और उन्हें धमकाये जाने की घटना की जानकारी मिली है।

विदेश मंत्री ने कहा कि हम ने अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न संबंधी रिपोर्टों के आधार पर इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह हालात से पूरी तरह वाकिफ है और वह अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की देखरेख करती है।

मंत्री ने सदन में बताया कि पाकिस्तान सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वहां के राष्ट्रपति ने सिंध प्रांत के मीरपुर मथेलो में एक हिन्दू लड़की का अपहरण कर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा उसका धर्मांतरण किए जाने संबंधी रिपोर्टों को गंभीरता से लिया है। ❑❑